unicef
for every child

बाल अपराध संबंधी
मार्गदर्शिका

अपराध अनुसंधान विभाग,
पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर - 492002
पत्र क्रमांक...PA-.551

अशोक जुनेजा, भा.पु.से.
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

संदेश

महिलाओं एवं बच्चों को कानून में प्रदत्त अधिकारों सहित उनके हितों के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजना के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में **"अभिव्यक्ति"** कार्यक्रम सतत् रूप संचालित किया जा रहा है। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 14 नवंबर **"बाल दिवस"** के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 14/11/2021 से 20/11/2021 तक **"बाल सुरक्षा सप्ताह"** का आयोजन किया जा रहा है।

यह अभियान जिलों में गठित टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में चलाया जावेगा। पुलिस टीम के उपयोग हेतु बाल सुरक्षा पर आधारित पाम्पलेट व पोस्टर तैयार कराये गये हैं। साथ ही नवीन अधिनियमित बाल कानूनों एवं संशोधनों पर आधारित पत्र-परिपत्र को संकलित कर इसे बुकलेट का स्वरूप दिया गया है, जो विवेचनाधिकारियों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बुकलेट पीड़ित बच्चों के हितों के संरक्षण में उपयोगी सिद्ध होगा।

(अशोक जुनेजा)

-: अनुक्रमणिका :-

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	प्रथम सूचना पत्र के संबंध में	01 से 04
02	बालक की पहचान उजागर नहीं करने के संबंध में	05 से 06
03	लैंगिक प्रकरणों में चिकित्सीय प्रक्रिया के संबंध में	07 से 22
04	महिला / बाल अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा किये जाने के संबंध में	23 से 25
05	बालक का आयु निर्धारण के संबंध में	26
06	शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त बालकों के प्रकरणों में दुभाषिये / अनुवादक के मदद के संबंध में	27
07	पोक्सो एक्ट के प्रकरणों की विवेचना हेतु STF का गठन के संबंध में	28
08	दो माह के भीतर अनुसंधान पूर्ण करने के संबंध में	29 से 31
09	चिन्हित अपराध योजना	32 से 37
10	गूगल स्प्रेड शीट के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की मॉनिटरिंग	38 से 39
11	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन के संबंध में	40
12	किशोर न्याय, आदर्श नियम, 2016 के संबंध में	41 से 43
13	पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना	44 से 52
14	गिरफ्तारी के संबंध में	53 से 55
15	महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित को त्वरित राहत व न्याय दिलाने के संबंध में	56 से 57
16	अपराध विवेचना के संबंध में SOP	58 से 62
17	Sexual Assault Evidence Collection Kit के संबंध में	63 से 78
18	मानव तस्करी के संबंध में SOP	79 से 84
19	गुम बच्चों के संबंध में SOP	85 से 92
20	अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश	93 से 100

रिट पिटीशन क्रिमीनल 68/2008
ललिता कुमारी वि0-उत्तर प्रेदश राज्य एवं अन्य
मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निणर्य दिनांक 12.11.13
के निर्देशों का हिन्दी अनुवाद

- प्रथम सूचना प्रतिवेदन का पंजीयन संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत आज्ञापक (Mandatory) है, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है तो ऐसी स्थिति में किसी प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।
- यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट नही करता है, किन्तु जांच की आवश्यकता को इंगित करता है तब प्रारंभिक जांच केवल इस बात के लिए की जा सकती है कि, अपराध संज्ञेय है अथवा नही।
- यदि जांच से यह प्रकट होता है कि, संज्ञेय अपराध किया गया है तब प्रथम सूचना प्रतिवेदन अवश्य पंजीकृत किया जाना चाहिए। यदि प्रकरण में प्रारंभिक जांच उपरान्त शिकायत पत्र को नस्तीबद्ध कर दिया गया है ऐसी स्थिति की सूचना, सूचनाकर्ता को आवश्यक रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रदाय की जानी चाहिए, और ऐसे नस्तीबद्ध करने का कारण संक्षिप्त में दिया जाना चाहिए कि, शिकायत पत्र पर आगे कार्यवाही नही की जावेगी।
- यदि संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो ऐसे अपराधो को दर्ज करने के अपने कर्तव्यों की उपेक्षा पुलिस अधिकारी नही कर सकता है। ऐसे त्रुटिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए जो कि संज्ञेय अपराध का प्रकट किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर भी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नही करते हैं।
- जब किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी का पता चलता है तो केवल सच्चाई जानने, अन्य सूचना प्राप्ति या केवल पता लगाने के लिए, प्रारंभिक जॉच नहीं की जा सकती है।
- किन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए और वह किस प्रकार। यह प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे श्रेणी के प्रकरण जिसमें प्रारंभिक जांच की जा सकेगी वह इस प्रकार है -

1- विवाह संबंधी विवाद/पारिवारिक विवाद।
2- व्यवसाय संबंधी विवाद।
3- चिकित्सकीय लापरवाही के प्रकरण।
4- भ्रष्टाचार प्रकरण।
5- प्रकरण में अत्यधिक विलंब/अभियोजन शुरू करने की अवधि बीत जाना। उदहारण- तीन माह से अधिक समय के विलंब से रिपोर्ट करना जिसमें विलंब का उचित कारण न बता सके।

उपरोक्त दृष्टांत केवल उदाहरण स्वरूप है व सम्पूर्ण नही है, तथा सभी दशाओं में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है।

- अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रारंभिक जांच समयबद्ध समय पर की जानी चाहिए और किसी भी प्रकरण में यह 7 दिवस से अधिक की नही होनी चाहिए। इस तरह के विलंब और कारणों का उल्लेख सामान्य डायरी में परिलक्षित होना चाहिए।

- यद्यपि जनरल डायरी/स्टेशन डायरी या डेली डायरी, पुलिस थानों में प्राप्त समस्त जानकारियों का अभिलेख है। यह निर्देशित किया जाता है कि संज्ञेय अपराध संबंधित सभी सूचनाओं, जिसका परिणाम प्रथम सूचना पत्र पंजीयन या जांच के लिए हो, को डायरी में अनिवार्य और सावधानी से परिलक्षित किया जाना चाहिए और प्रारंभिक जॉच करने का निर्णय भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है।

नोट :——प्रारंभिक जॉच की समय-सीमा में वृद्धि

प्रारंभिक जांच समयबद्ध समय पर की जानी चाहिए, उक्त संबंध में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.14 को उक्त कंडिका में संशोधन करते हुए किसी भी प्रकरण में सामान्यतः जांच 15 दिवस से अधिक न होने वाले समय में किये जाने और असाधारण मामलो में प्रकरण के तथ्यों के संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुए 6 सप्ताह का समय दिया जा सकता है। इस तरह के विलंब और कारणों का स्पष्ट उल्लेख सामान्य डायरी में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

पुलिस मुख्यालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर
परिपत्र क्र0 - 02/2019

विषय :- प्रथम सूचना पत्र (शून्य एफआईआर) दर्ज करने के संबंध में

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्र.- 15011/35/2013-SC/ST-W दि. 10.05.2013
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्र.- 15011/91/2013-SC/ST-W दि 06.02.2014
3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्र.- 15011/91/2013-SC/ST-W दि. 12.10.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित उक्त पत्रों के परिपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (शून्य एफआईआर) दर्ज करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं एवं मुख्यालय मे प्राप्त होने वाले शिकायतों से भी यह ज्ञान में आया है कि, संज्ञेय अपराध की घटना में, संबंधित थाना क्षेत्र की घटना नही होने के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं की जाती है, जबकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा- 154 द.प्र.सं. के अनुसार थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का प्रावधान है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ललिता कुमारी वि0 उ.प्र. राज्य में यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि, संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना संबंधित थाना क्षेत्र की न हो तो शून्य पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर उसे संबंधित थाना क्षेत्र को स्थानांतरित करें।

उक्त निर्देश का पालन नही किये जाने की स्थिति में संबंधित थाना क्षेत्र के दोषी पुलिस कर्मी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166-क, के तहत अभियोजित किया जावे एवं उक्त कर्मी अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन नही किये जाने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायित्वधीन भी होगा।

उपरोक्त परिपत्र से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- भारत सरकार गृह मंत्रालय के संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

(डी.एम. अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

पृ0 क्र0-पुमु/अअवि/विधि शाखा-1/ 579 /19 नवा रायपुर, दिनांक 04/11/2019
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा, रायपुर।
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़, रेल सहित।
5. समस्त सेनानी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़।
6. समस्त पुलिस प्रशिक्षण शाला/केन्द्र प्रमुख, छत्तीसगढ़।

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नया रायपुर– 492002

क्र. पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 16 /2018 दिनांक 15/01/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के कियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः– राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का पत्र क. 26016/03/2017-POCSO/NCPCR (Pt File)/63733 दिनांक 12/12/2017

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। लैंगि अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 में बाल यौन उत्पीड़न के मामलों की रि विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस को अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाना प्रावधानित कि गया है। धारा 21 के अनुसार रिपोर्ट करने अथवा दर्ज करने में असफल रहने पर दण्ड का प्रावधान कि गया है। पोक्सो एक्ट की धारा 21 अनुसारः–

(1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उप–धारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किये जाने क रिपोर्ट करने में विफल रहता है या जो धारा 19 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति, जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा– 19 की उप–धारा (1) के अधीन किसी अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है वह ऐसे अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ऐसे अनेक शिकायत प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को, जो पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के पालन में पुलिस को इन अपराधों की सूचना देते हैं, उन्हें प्रताड़ित जा रहा है और यहाँ तक की कुछ प्रकरणों में इस प्रताड़ना के कारण उन्हें दबाव में नौकरी छोड़ने को विवश किया जा रहा है।

अतः बाल यौन शोषण के मामलों में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जावे एवं इन प्रकरणों के शिकायतकर्ता किसी भी तरह से प्रताड़ित न हो, यह सुनिश्चित किया जावे। अपने अधीनस्थ समस्त थाना/चौकी प्रभारियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को उपरोक्तानुसार निर्देशित करते हुए पालन प्रतिवेदन से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आर.के. विज)
अति. पुलिस महानिदेशक

क्र. पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 16 /2018 दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह (पुलिस) विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अति. पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
अटल नगर, रायपुर 492002

क्र.- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 25 /2019 — दिनांक 25/01/2019

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः- मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (C) क्रमांक 565/2012 "निपुन सक्सेना विरूद्ध संघ शासन में दिये गये निर्देश के संबंध में।

संदर्भः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/12/2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (C) क्रमांक 565/2012 "निपुन सक्सेना विरूद्ध संघ शासन" में दिनांक 11/12/2018 को दिये गये आदेश के तहत लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ितों का उपहास, सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण से संरक्षित रखने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिये गये हैं:-

1. कोई भी व्यक्ति लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति का नाम प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया आदि में प्रकाशित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किसी भी तरीके से ऐसे तथ्य का उजागर करने पर, जिससे पीड़ित की पहचान की जा सकती हो या जनता के सामने उसकी पहचान स्थापित करती हो, को प्रतिबंधित किया गया है।

2. ऐसे प्रकरणों में जहाँ पीड़ित मृत अथवा दिमागी रूप से अवस्वस्थ हो, परिजनों द्वारा अधिकृत करने पर भी उसका नाम एवं पहचान उजागर नहीं किया जाना चाहिए। अगर परिस्थितिवश पहचान उजागर करना न्यायसंगत होगा, तब पीड़ित के पहचान का खुलासा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (सत्र न्यायाधीश) द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3. धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और 376E भारतीय दण्ड विधान तथा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों को Public Domain में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

4. जहां तक संभव हो पुलिस अधिकारी उन समस्त दस्तावेंजो को सील्ड कव्हर रखेंगे, जिसमें पीड़ित के नाम का खुलासा हो।

5. अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा जिस भी अन्य प्राधिकारियों को पीड़ित के नाम का खुलासा किया गया हो, उन सबका यह कर्तव्य बनता है कि पीड़ित के नाम व पहचान को गोपनीय रखे। किसी भी तरीके से पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए सिवाय उस रिपोर्ट के जो सील बंद कव्हर में अन्वेषण एजेंसी अथवा कोर्ट को भेजा जायेगा।

मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश की प्रति अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारियों को भेजते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें। तत्पश्चात पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति एवं पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुख्यालय को अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

हेतु- अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

पृ.क्र- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 25 /2019 — दिनांक 25/01/2019

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह (पुलिस) विभाग को पत्र क्रमांक 316/384/टीएल/2017/गृह-दो अटल नगर, रायपुर दिनांक 15/01/2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

:: परिपत्र क्र.02../2021 ::

विषयः-**लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों एवं विधिविरूद्ध संघर्षरत बालक से संबंधित मामलों में बच्चों का पहचान उजागर नहीं करने के संबंध में दिशा-निर्देश।**

उपरोक्त विषयांतर्गत पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों एवं विधिविरूद्ध संघर्षरत बालक को उपहास, सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण से संरक्षित रखने उद्देश्य से उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या किन्हीं अन्य विशिष्टियों को किसी मीडिया रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य-श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप, जिससे बालक की पहचान स्थापित हो, उजागर नहीं करना चाहिए। इस संबंध में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की **धारा 23** एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की **धारा 74** में स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है एवं इन अधिनियमों के तहत **यह एक दण्डनीय अपराध है।** इसी प्रकार माननीय सुर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (C) क्रमांक 565/2012 "निपुन सक्सेना विरूद्ध संघ शासन" में भी उक्त संबंध में निर्देशित किया गया है।

बच्चों से संबंधित प्रकरण प्रकाश में आने पर मीडिया को भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 से अवगत करायें कि मीडिया की किसी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य उजागर न हो, जिससे बालक की पहचान प्रकट हो। उपरोक्त प्रावधानों/आदेश का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु इस परिपत्र की छायाप्रति अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारियों को भेजें। साथ ही मासिक क्राईम मीटिंग के दौरान भी इस संबंध में समीक्षा की जावे। पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति एवं पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुंख्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(डी.एम. अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांकः पुमु/अंअवि/बाल अधिकार सेल/ 270 /2021 दिनांक 29 /10/2021
प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
02. समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), छत्तीसगढ़।

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नया रायपुर – 492002

क्र- पुमु/अंअवि/बाल अधिकार सेल/ 166 /2018 दिनांक 25/05/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषय:- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 27 एवं नियम 5 के अधीन पीड़ितों का चिकित्सीय परीक्षण कराने बावत्।

संदर्भ:- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2603/15/2017/ पोक्सो/ एनसीपीसीआर दिनांक 20/04/2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत विगत तीन वर्षों में दर्ज प्रकरणों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि दर्ज प्रकरणों के अनुपात में आरोपियों को सजा की संख्या का स्तर अत्यंत निम्न है। अधिकांश प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किये जाने का मुख्य कारण प्रकरणों की कमजोर विवेचना एवं न्यायालय में पुख्ता चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना है।

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा गाईडलाईन Medico-legal Survivors/Victims of Sexual Violence" दिनांक 19 मार्च, 2014 को जारी किया गया है, जो संलग्न है। इस गाईडलाईन को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा User Handbook on POCSO Act, 2012 में भी शामिल किया गया है, जो आयोग की वेबसाईट www.ncpcr.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः भविष्य में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण उपरोक्त गाईडलाईन के अनुसार कराये जाने हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारी/थाना, चौकी प्रभारियों को निर्देशित करें एवं पालन प्रतिवेदन से एक सप्ताह के भीतर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(आर.के. विज)
अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि
हेतु- पुलिस महानिदेशक

क्र- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 166 /2018 दिनांक 25/05/2018

प्रतिलिपि:-

01. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
02. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह (पुलिस) विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
03. सचिव, छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।

अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि
हेतु- पुलिस महानिदेशक

CONFIDENTIAL

Medico-legal Examination Report of Sexual Violence

1. Name of the Hospital .... OPD No. .... Inpatient No ....
2. Name .... D/o or S/o (where known)...............................
3. Address...
4. Age (as reported) .... Date of Birth (if known)...............................
5. Sex (M/F/Others) ....
6. Date and Time of arrival in the hospital ....
7. Date and Time of commencement of examination...
8. Brought by.. (Name & signatures)
9. MLC No. ....Police Station......................................
10. Whether conscious, oriented in time and place and person:..............................
11. Any physical/intellectual/psychosocial disability ....

(Interpreters or special educators will be needed where the survivor has special needs such as hearing/speech disability, language barriers, intellectual or psychosocial disability.)

12. Informed Consent/refusal

I.. D/o or S/o...

hereby give my consent for:

a) medical examination for treatment	Yes ☐	No ☐
b) this medico legal examination	Yes ☐	No ☐
c) sample collection for clinical & forensic examination	Yes ☐	No ☐

I also understand that as per law the hospital is required to inform police and this has been explained to me.

I want the information to be revealed to the police   Yes ☐   No ☐

I have understood the purpose and the procedure of the examination including the risk and benefit, explained to me by the examining doctor. My right to refuse the examination at any stage and the consequence of such refusal, including that my medical treatment will not be affected by my refusal, has also been explained and may be recorded. Contents of the above have been explained to me in .... language with the help of a special educator/interpreter/support person (circle as appropriate) ....

If special educator/interpreter/support person has helped, then his/her name and signature...............

Name & signature of survivor or parent/Guardian/person in whom the child reposes trust in case of child (<12 yrs)

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

With date, time & place

Name & signature/thumb impression of Witness

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

With Date, time and place

13. Marks of identification (Any scar/mole)

(1) ………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………

Left Thumb impression

14. Relevant Medical/Surgical history

Onset of menarche (in case of girls) Yes No Age of onset………………………

Menstrual history – Cycle length and duration …………… Last menstrual period……………

Menstruation at the time of incident - Yes/ No, Menstruation at the time of examination - Yes/ No

Was the survivor pregnant at time of incident - Yes/No, If yes duration of pregnancy ……… weeks

Contraception use: Yes/No……. If yes – method used: ……………………………………………

Vaccination status – Tetanus (vaccinated/not vaccinated), Hepatitis B (vaccinated/not vaccinated)

15 A.History of Sexual Violence

(i) Date of incident/s being reported	(ii) Time of incident/s	(iii) Location/s
(iv)Estimated duration : 1-7 days........ 1 week to 2 months...... 2-6 months.................. >6 months...... Episode: One............ Multiple ....Chronic (>6 months) ....Unknown.........		
(v) Number of Assailant(s) and name/s...... (vi) Sex of assailant(s):.........Approx. Age of assailant (s)............ If known to the survivor – relationship with the survivor......		
(vii) Description of incident in the words of the narrator: Narrator of the incident: survivor/informant (specify name and relation to survivor) .... If this space is insufficient use extra page		

15 B. Type of physical violence used if any (Describe):

Hit with (Hand, fist, blunt object, sharp object)	Burned with
Biting	Kicking
Pinching	Pulling Hair
Violent shaking	Banging head
	Dragging
Any other:	

15 C.

i. Emotional abuse or violence if any (insulting, cursing, belittling, terrorizing)………
………………………………

ii. Use of restraints if any ………………………………………………………………

iii. Used or threatened the use of weapon(s) or objects if any………………………
………………………………

iv. Verbal threats (for example, threats of killing or hurting survivor or any other person in whom the survivor is interested; use of photographs for blackmailing, etc.) if any:
………………………………………………………………………………………

v. Luring (sweets, chocolates, money, job) if any: ………………………………………

vi. Any other:………………………………………………………………………………

15 D.

i. Any H/O drug/alcohol intoxication:

ii. Whether sleeping or unconscious at the time of the incident: ………………………

15 E. If survivor has left any marks of injury on assailant/s, enter details: …………………

15 F. Details regarding sexual violence:

Was penetration by penis, fingers or object or other body parts (Write Y=Yes, N=No, DNK=Don't know) Mention and describe body part/s and/or object/s used for penetration.

	Penetration			Emission of Semen		
Orifice of Victim	By Penis	By body part of self or assailant or third party (finger, tongue or any other)	By Object	Yes	NO	Don't know
Genitalia (Vagina and/or urethra)						
Anus						
Mouth						

Oral sex performed by assailant on survivor	Y	N	DNK
Forced Masturbation of self by survivor	Y	N	DNK
Masturbation of Assailant by Survivor, Forced Manipulation of genitals of assailant by survivor	Y	N	DNK
Exhibitionism (perpetrator displaying genitals)	Y	N	DNK
Did ejaculation occur outside body orifice (vagina/anus/mouth/urethra)?	Y	N	DNK

If yes, describe where on the body			
Kissing, licking or sucking any part of survivor's body	Y	N	If Yes, describe
Touching/Fondling	Y	N	If Yes, describe
Condom used*	Y	N	DNK
If yes status of condom	Y	N	DNK
Lubricant used*	Y	N	DNK
If yes, describe kind of lubricant used			
If object used, describe object			
Any other forms of sexual violence			

*** Explain what condom and lubricant is to the survivor**

Post incident has the survivor	Yes/No/Do Not know	Remarks
Changed clothes		
Changed undergarments		
Cleaned/washed clothes		
Cleaned/washed undergarments		
Bathed		
Douched		
Passed urine		
Passed stools		
Rinsing of mouth/Brushing/ Vomiting (Circle any or all as appropriate)		

Time since incident.. H/o vaginal/anal/oral bleeding/discharge prior to the incident of sexual violence..................

H/o vaginal/anal/oral bleeding/discharge since the incident of sexual violence...............

H/o painful urination/ painful defecation/ fissures/ abdominal pain/pain in genitals or any other part since the incident of sexual violence

16. General Physical Examination-

i. Is this the first examination..

ii. Pulse.. BP...

iii. Temp...Resp. Rate.......................................

iv. Pupils ....

v. Any observation in terms of general physical wellbeing of the survivor....................

17. **Examination for Injuries on the body if any**

The pattern of injuries sustained during an incident of sexual violence may show considerable variation. This may range from complete absence of injuries (more frequently) to grievous injuries (very rare).

(Look for bruises, physical torture injuries, nail abrasions, teeth bite marks, cuts, lacerations, fracture, tenderness, any other injury, boils, lesions, discharge specially on the scalp, face, neck, shoulders, breast, wrists, forearms, medial aspect of upper arms, thighs and buttocks) Note the Injury type, site, size, shape, colour, swelling signs of healing simple/grievous, dimensions.)

Scalp examination for areas of tenderness. (if hair pulled out/ dragged by hair)	
Facial bone injury: orbital blackening, tenderness	
Petechial haemorrage in eyes and other places	
Lips and Buccal Mucosa / Gums	
Behind the ears	
Ear drum	
Neck, Shoulders and Breast	
Upper limb	
Inner aspect of upper arms	
Inner aspect of thighs	
Lower limbButtocks	
Other, please specify	

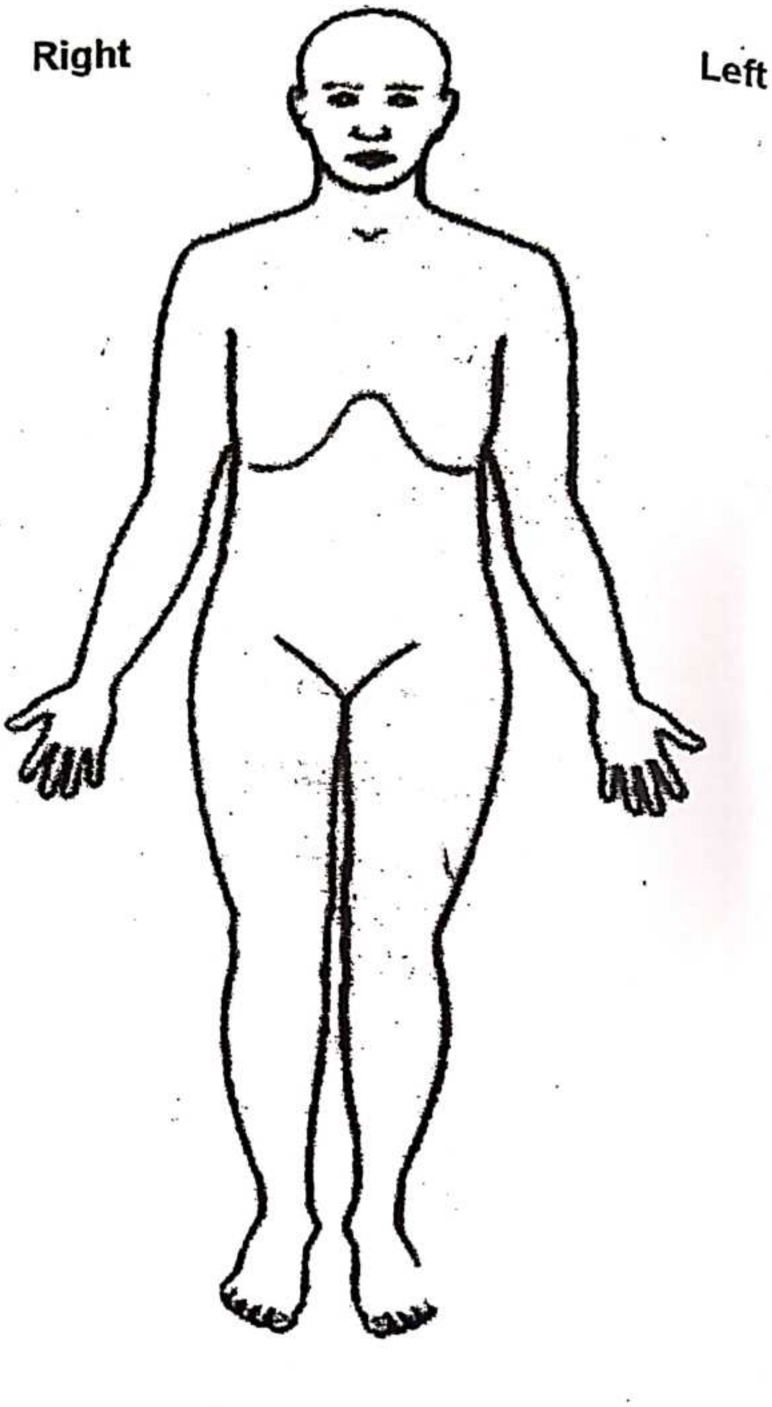
Right
Left

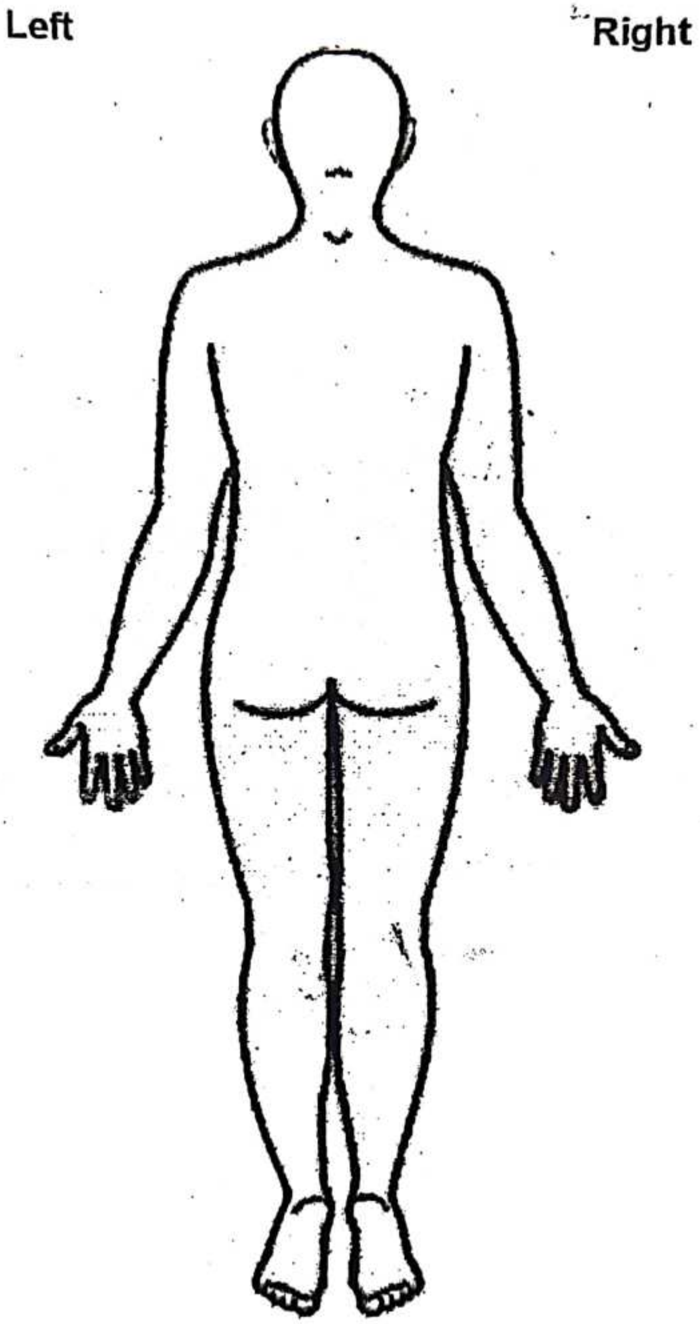
Left
Right

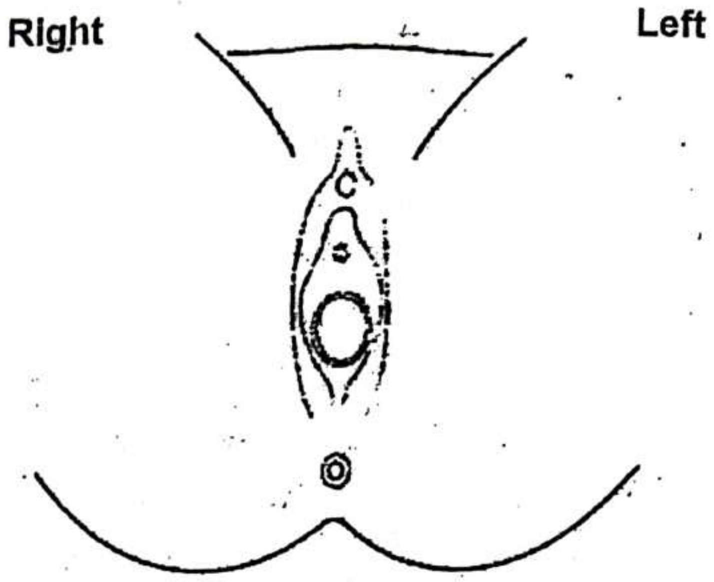
Right
Left
C

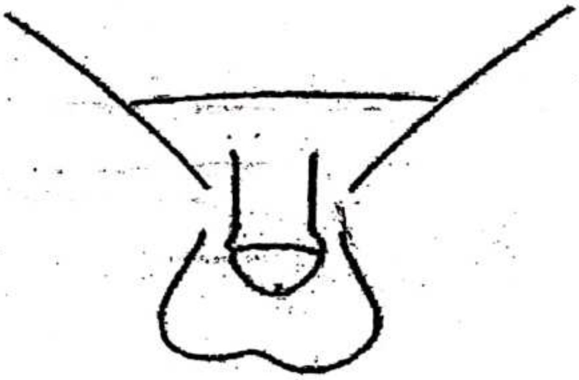

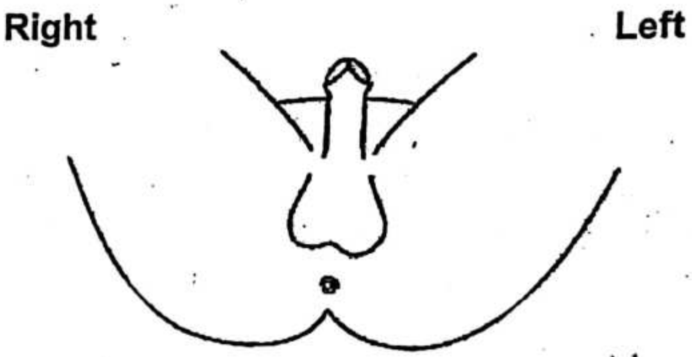
Right
Left

18. Local examination of genital parts/other orifices*:

A. External Genitalia: Record findings and state NA where not applicable.

Body parts to be examined	Findings	
Urethral meatus & vestibule		
Labia majora		
Labia minora		
Fourchette & Introitus		
Hymen Perineum		
External Urethral Meatus		
Penis		
Scrotum		
Testes		
Clitoropenis		
Labioscrotum		
Any Other		

*** Per/Vaginum /Per Speculum examination should not be done unless required for detection of injuries or for medical treatment.**

P/S findings if performed ....
P/V findings if performed ....
Record reasons if P/V of P/S examination performed ....

C. Anus and Rectum (encircle the relevant)
Bleeding/ tear/ discharge/ oedema/ tenderness

D. Oral Cavity - (encircle the relevant)
Bleeding/ discharge/ tear/oedema/ tenderness

19. Systemic examination:

Central Nervous System: ....
Cardio Vascular System: ....
Respiratory System: ....
Chest: ....
Abdomen: ....

20. Sample collection/Investigations for hospital laboratory/ Clinical laboratory

1) Blood for HIV, VDRL, HbsAg
2) Urine test for Pregnancy/
3) Ultrasound for pregnancy/internal injury
4) X-ray for Injury

21. Samples Collection for Central/ State Forensic Science Laboratory

1) Debris collection paper
2) Clothing evidence where available – (to be packed in separate paper bags after air drying)

List and Details of clothing worn by the survivor at time of incident of sexual violence

3) Body evidence samples as appropriate (duly labeled and packed separately)

	Collected/Not Collected	Reason for not collecting
Swabs from Stains on the body (blood, semen, foreign material, others)		
Scalp hair (10-15 strands)		
Head hair combing		
Nail scrapings (both hands separately)		
Nail clippings (both hands separately)		
Oral swab		
Blood for grouping, testing drug/alcohol intoxication (plain vial)		
Blood for alcohol levels (Sodium fluoride vial)		
Blood for DNA analysis (EDTA vial)		
Urine (drug testing)		
Any other (tampon/sanitary napkin/condom/object)		

4) **Genital and Anal evidence** (Each sample to be packed, sealed, and labeled separately-to be placed in a bag)

* Swab sticks for collecting samples should be moistened with distilled water provided.

	Collected/Not Collected	Reason for not collecting
Matted pubic hair		
Pubic hair combing (mention if shaved)		
Cutting of pubic hair (mention if shaved)		
Two Vulval swabs (for semen examination and DNA testing)		
Two Vaginal swabs (for semen examination and DNA testing)		
Two Anal swabs (for semen examination and DNA testing)		
Vaginal smear (air-dried) for semen examination		
Vaginal washing		
Urethral swab		
Swab from glans of penis/clitoropenis		

*Samples to be preserved as directed till handed over to police along with duly attested sample seal.

22. Provisional medical opinion

I have examined (name of survivor).............M/F/Other....................aged............................ reporting_ (type of sexual violence and circumstances)..................., XYZ days/hours after the incident, after having (bathed/douched etc)........................ My findings are as follows:

- Samples collected (for FSL), awaiting reports
- Samples collected (for hospital laboratory)
- Clinical findings
- Additional observations (if any)

23. Treatment prescribed:

Treatment	Yes	NO	Type and comments
STI prevention treatment			
Emergency contraception			
Wound treatment			
Tetanus prophylaxis			
Hepatitis B vaccination			
Post exposure prophylaxis for HIV			
Counselling			
Other			

24. Date and time of completion of examination ....

This report contains .... number of sheets and .... number of envelopes.

Signature of Examining Doctor

Name of Examining Doctor

Place: Seal

25. Final Opinion (After receiving Lab reports)

Findings in support of the above opinion, taking into account the history, clinical examination findings and Laboratory reports of .... bearing identification marks described above, ... hours/ days after the incident of sexual violence, I am of the opinion that:

Signature of Examining Doctor

Name of Examining Doctor

Place: Seal

COPY OF THE ENTIRE MEDICAL REPORT MUST BE GIVEN TO THE SURVIVOR/ VICTIM FREE OF COST IMMEDIATELY

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नया रायपुर– 492002

क्र. पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 54 /2018 दिनांक 9 /02/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः– बालकों के लैंगिक शोषण के प्रकरणों में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान ध्यान रखने योग्य दिशा–निर्देश।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) के परिप्रेक्ष्य में बालक के लैंगिक शोषण के प्रकरणों में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान ध्यान रखने योग्य निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं:–

1. पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षण इस अधिनियम के अधीन घटित अपराध होने पर चाहे प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद पंजीकृत किया गया है या नहीं, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164(क) के अनुसार संचालित की जायेगी। [धारा 27 (1)]
2. यदि पीडित बालिका है, तो चिकित्सीय परीक्षण किसी महिला डॉक्टर द्वारा ही की जायेगी। [धारा 27(2)
3. चिकित्सीय परीक्षण बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जायेगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो। [धारा 27 (3)]
4. जहॉ धारा 27 (3) में निर्दिष्ट बालक के माता–पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जॉच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है, तो चिकित्सा जॉच चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जायेगी। [धारा 27 (4)]
5. किसी बालक की आपात चिकित्सा देख–रेख करने वाला कोई भी चिकित्सा व्यवसायी अस्पताल या अन्य चिकित्सा प्रसुविधा केन्द्र ऐसी देख–रेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में किसी भी विधिक या अन्य प्रलेखिकरण की मांग नहीं करेगा। [नियम 5 (3)]
6. जिस समय बलात्कार के अपराध करने या बलात्कार का प्रयास करने का अन्वेषण किया जा रहा है, तथा जिस पीड़ित के साथ बलात्कार हुआ है या बलात्कार का प्रयास किया गया है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण किया जायेगा, ऐसी परीक्षण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जायेगा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, पीड़ित की सहमति से या उसके वास्ते सहमति दे सकने वाले व्यक्ति की सहमति से किया जायेगा। ऐसा अपराध किये जाने से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने के समय 24 घण्टों के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास पीड़िता को भेजा जायेगा। [धारा 164 (क) दण्ड प्रकिया संहिता]
7. कोई अस्पताल सार्वजनिक या व्यक्तिगत, चाहे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित हो, का भारसाधक होते हुए, पीड़ित के ईलाज से मना नहीं कर

सकता, जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 166 (बी) भारतीय दण्ड विधान के तहत कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

8. यदि पीड़ित 12 साल से कम उम्र की है, तो चिकित्सा परीक्षण के लिए पीड़ित के अभिभावक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जिसमें पीड़ित विश्वास या भरोसा रखता है, उनसे सहमति लेना आवश्यक है।

9. पीड़ित के साथ चिकित्सा परामर्श के दौरान पुलिसकर्मियों को परीक्षण कक्ष में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।

10. यौन हिंसा से पीड़ित को पूरी तरह से मुफ्त में सभी चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए और चिकित्सा संबंधित सभी दस्तावेजों की एक प्रति पीड़ित को दिया जाना चाहिए।

11. जहाँ पीड़ित की जान को खतरा हो, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 92 भारतीय दण्ड विधान के अनुसार सहमति के बिना डॉक्टर द्वारा ईलाज शुरू किया जा सकता है।

12. पीड़ित के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान चिकित्सा दस्तावेज पर पुलिस को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। इन परिस्थिति में वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर या किसी चिकित्सा व्यवसायी से साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कराना चाहिए।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन अपने अधीनस्थों से कराते हुए पा... प्रतिवेदन ... इस कार्यालय को अवगत करावें।

(आर.के. विज)
अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

पृ.क्र. पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 54 /2018 दिनांक 09/02/2018

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

:: परिपत्र क्र...01../2021 ::

विषयः- महिला अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा किये जाने के संबंध में।

भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रकिया संहिता एवं विभिन्न अधिनियमों में यह स्पष्ट प्रावधानित है कि महिला या बालिकाओं से संबंधित अपराधों की प्रथम सूचना पत्र लेखन, पीड़िता का कथन एवं विवेचना किसी महिला पुलिस अधिकारी से कराया जावे।

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326(क), 326(ख), 354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376, 376(क), 376(क)(ख), 376(ख) 376(ग), 376(घ), 376(घ)(क), 376(घ)(ख), 376(ड) या 509 के अधीन किसी अपराध की प्रथम सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लेख की जावेगी।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376, 376(क), 376(क)(ख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घ)(क), 376(घ)(ख), 376(ड) या 509 के अपराध के अंतर्गत पीड़िता के कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लेख किये जावेंगे।

3. पोक्सो एक्ट की धारा 24(1) अनुसार पीड़ित का कथन यथासंभव उप निरीक्षक से अनिम्न किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लेख किया जावे।

4. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में धारा 15(4) के अधीन हटाई गई स्त्री या लड़की के कथन किसी महिला अधिकारी से कराया जाना प्रावधानित है।

5. उपरोक्त सभी प्रकरणों में अपराध की शेष विवेचना महिला अधिकारी से ही कराई जाने की कोई बाध्यता नहीं अर्थात वह किसी भी अधिकारी से कराई जा सकती है।

अतः उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

स.क्र.	अपराध शीर्ष/ परिस्थितियॉ	न्यूनतम रैंक का पुलिस अधिकारी जो पीड़िता के कथन/प्रथम सूचना पत्र दर्ज करेगा	न्यूनतम रैंक का पुलिस अधिकारी जो विवेचना कर सकता है।	न्यूनतम रैंक का पर्यवेक्षण अधिकारी जिसे आवश्यक रूप से पर्यवेक्षण करना चाहिए।
01.	बलात्संग :- 376, 376(क), 376(क)(ख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घ)(क) 376(घ) (ख), 376ड भादवि	महिला उप निरीक्षक	उप निरीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक

2.	छेड़छाड़ 354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 509 भादवि			
3.	पोक्सो एक्ट की धाराएँ 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23			
4.	महिला के साथ अप्राकृतिक कृत्य धारा 377 भादवि			
5.	मानव दुर्व्यापार धारा 370-374 भादवि			
6.	एसिड एटैक 326क, 326ख			
7.	उपरोक्तानुसार अपराधों में से किसी भी अपराध के साथ यदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएँ लगी हो तो	महिला निरीक्षक	निरीक्षक	उप अधीक्षक
8.	अपहरण/व्यपहरण- 363, 366 भादवि	प्रधान आरक्षक		उप पुलिस अधीक्षक
9.	दहेज प्रताड़ना धारा 498क भादवि, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम			
10.	महिला के आत्महत्या का दुष्प्रेरण			
11.	अश्लील पुस्तक/चित्रण का विक्रय आदि धारा 292 भादवि			
12.	भ्रूण संबंधी अपराध धारा 312 से 318 भादवि			
13.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम			
14.	विवाह के 07 वर्ष के भीतर हुई नव विवाहिता की मृत्यु (मर्ग) की जांच	उप पुलिस अधीक्षक		पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
15.	दहेज मृत्यु धारा 304बी, भादवि			

सामान्य निर्देशः-

1. परिपत्र में विवेचक एवं पर्यवेक्षक की न्यूनतम रैंक लेख है। इससे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा विवेचना एवं पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

2. यदि किसी प्रकरण या प्रकरणों की श्रेणी के विषय में किसी विशेष कानून के अंतर्गत या माननीय न्यायालय या धारा 36 सहपठित धारा 158 द.प्र.सं. के अंतर्गत राज्य शासन का सामान्य या विशिष्ट आदेश है, तो उसका पालन किया जावेगा।

3. पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा है कि अपने जिले के गंभीर अपराधों को मौके पर जाकर एवं केस डायरी का अवलोकन कर पर्यवेक्षण की जावे एवं टीप जारी करें।

4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंभीर प्रकरणों में मौके पर जाकर पर्यवेक्षण कर तथ्यात्मक निर्देश जारी करें।

5. जिले के पुलिस अधीक्षक प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत स्व-विवेक से किसी भी अन्य प्रकरण का भी पर्यवेक्षण कर सकेंगे।

6. जिन प्रकरणों में एक विवेचक चालान एवं और दूसरा विवेचक खात्मा/खारजी का साक्ष्य मूल्यांकन कर रहे हैं, उन प्रकरणों का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए।

यह परिपत्र सभी राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना/चौकियों को भेजा जावे एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन किया/कराया जाये।

(हिमानी खन्ना) 6.21
उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि
पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
दिनांक 10 /06/2021

पृ.क्र. पुमु/अअवि/महिला सेल/ M-508 /2021

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), छत्तीसगढ़।

उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि
पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर

अपराध अनुसंधान विभाग
पुलिस मुख्यालय,नया रायपुर

क्र–:पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 57 /2018 दिनांक 09/02/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः– **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित का आयु निर्धारण के संबंध में।**

संदर्भः– मान0 न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर का अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 578 दिनांक 11/12/2017

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दाण्डिक अपील कमांक 1209/2010 जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94** के अनुसार बालकों के आयु के विषय में उपधारणा और [illegible] का अवधारणा संबंधी निर्देश दिये गये हैं। सही उम्र निर्धारण का साक्ष्य पुलिस अधिकारी/विवेचक द्वारा संकलित किया जाना है।

अतः अधीनस्थ समस्त थाना/चौकी प्रभारी को बालकों से संबंधित प्रकरणों में आयु निर्धारण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी करें एवं पालन प्रतिवेदन से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आर.के. विज)
अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

क्र–:पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 57 /2018 दिनांक 09/02/2018
प्रतिलिपिः–

01. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

क्रमांकः- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/239 /2021 दिनांक 05/10/2021

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित, छत्तीसगढ़

विषयं लैंगिक अपराधों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त पीड़ितों/विधिविरूद्ध संघर्षरत बालकों के संबंध में।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 26 में लैंगिक अपराधों के निःशक्त पीड़ितों तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 8(3)(iv) में निःशक्त विधिविरूद्ध संघर्षरत बालकों के प्रकरणों में दुभाषिये/विशेष शिक्षक/अनुवादक की सहायता लिये जाने का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के नियम 3 के अनुसार ऐसे दुभाषिये/विशेष शिक्षक/अनुवादक की सूची जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत जिला बाल संरक्षण इकाई के पास उपलब्ध होता है। अतः **आवश्यकतानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क कर निःशक्त पीड़ितों/विधि विरूद्ध संघर्षरत बालकों के प्रकरणों में उपरोक्त विशेषज्ञों की सहायता ली जावे।** उपरोक्त के संबंध में अर्धानस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना/चौकी प्रभारी को अवगत कराया जावे।

5.10.21.
(हिमानी खन्ना)
उप पुलिस महानिरीक्षक
अअवि, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर

पृ.क्रमांकः- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/239-A /2021 दिनांक 05/10/2021
प्रतिलिपिः-

- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर कृपया सूचनार्थ।

5.10.21.
उप पुलिस महानिरीक्षक
अअवि, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नया रायपुर - 492002

क्र- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 170 /2018 दिनांक 30/05/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः- रिट याचिका क्रमांक 76/2018- अलख आलोक श्रीवास्तव विरूद्ध संघ शा... एवं अन्य में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के परिपालन के संबंध में।

मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 76/2018 अलख आलो... वास्तव विरूद्ध संघ शासन एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 01/05/2018 को पारित आदेश के अ... पोक्सो एक्ट के प्रकरणों का अनुसरण करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाना है... हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाये:-

01.	अध्यक्ष	-	जिला शहरीय क्षेत्र के अति. पुलिस अधीक्षक/ अति. पुलिस अधीक्षक (IUCAW)/वरिष्ठतम उप पुलिस अधीक्षक
02.	सदस्य	-	जिले में प्रत्येक पुलिस अनुभाग के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी
03.	सदस्य (पुलिस अधीक्षक द्वारा नामांकित)	-	प्रत्येक थाने से उप निरीक्षक स्तर से अनिम्न एक अधिकारी (थाने में उक्त स्तर की **महिला अधिकारी** होने पर अनिवार्य रूप से नामांकित)

उपरोक्तानुसार गठित स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की उचित विवेचना की जा रही है तथा साक्षियों को नियत तिथि पर संबंधित विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिमाह आयोजित मासिक क्राईम मीटिंग के साथ **"स्पेशल टास्क फोर्स"** के कार्यों की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जावे।

अतः उपरोक्तानुसार गठित स्पेशल टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी एवं सदस्य का नाम तथा मोबाईल नंबर सहित पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुख्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर.के. विज)
अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि
हेतु- पुलिस महानिदेशक

क्र- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 170 /2018 दिनांक 30/05/2018
प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।

अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि
हेतु- पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नया रायपुर, 492002

क्र0- पुमु/CID/LS-1/ / 209 /18 दिनांक 31 /05/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित, छत्तीसगढ़।

विषय :- अपराध विधि में संशोधन अनुसार दो माह में अनुसंधान पूर्ण करने हेतु दिशा-निर्देश।

कृपया विषयान्तर्गत लेख है कि, भारत सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से अपराध विधि में संशोधन किया गया है। तत्संबंध में कार्यालय के पत्र क्र. पुमु/CID/LS-1/185/18 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्रेषित किया गया है।

उक्त संशोधन उपरांत प्रभावी रूप से क्रियान्वन किये जाने एवं दो माह में अनुसंधान पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

(अ) अपराध की विवेचना -

1. 12 वर्ष से कम आयु के बालिका के साथ बलात्संग की सूचना थाने में प्राप्त होने पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जावे।
2. मौका मुआयना किया जाये एवं एफ.एस.एल टीम की सलाह अनुसार साक्ष्य एकत्रित किया जाये।
3. प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के उपरांत शीघ्र (रिपोर्ट के 24 घण्टे के भीतर) पीड़िता का नियमानुसार चिकित्सकीय परीक्षण कराया जावे तथा परीक्षण रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करें।
4. चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत बालिका के मानसिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसका कथन उसके निवास स्थान पर या उसके सुविधानुसार स्थान पर लेखबद्ध किया जावे।
5. एफआईआर एवं पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी/महिला द्वारा लेख किया जावे। उक्त कथन की विडियोग्राफी करायी जावे।
6. पीड़िता का दण्ड प्रकिया संहिता की धारा- 154 में दिये प्रावधान अनुसार यथा शीघ्र धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन कराया जावे।
7. शेष आवश्यक साक्षियों के कथन शीघ्र लेखबद्ध किये जावें।
8. प्रार्थिया के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की होने पर उसका जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त करेंगे और साक्ष्य सूची में अधिकारी का नाम सम्मिलित करें।

9. विवेचना के दौरान उम्र के संबंध में सुसंगत दस्तावेज संलग्न किया/किये जावे, (अ) नगर निगम/नगर पंचायत विभाग से जन्म प्रमाण-पत्र संबंधी दस्तावेज प्रमाणित करने अथवा (ब) स्कूल शिक्षा विभाग से अंकसूची में दर्ज जन्म तिथि प्रमाणित करने अथवा (स) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आवश्यकता अनुसार। उम्र संबंधी मेडिकल जॉच रिपोर्ट प्रमाणित करने हेतु संबंधित को साक्षी के रूप में साक्ष्य सूची में सम्मिलित करें।

10. प्रकरण में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रावधान अनुसार करें।

11. आरोपी के गिरफ्तारी उपरांत शीघ्र चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाये।

12. चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात् चिकित्सक के द्वारा तैयार स्लाईड एवं प्रार्थीया/पीड़िता एवं आरोपी के कपड़े इत्यादि जब्त किये जाते हैं और उनके एफ.एस.एल परीक्षण हेतु यथाशीघ्र एफ.एस.एल. कार्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगें।

13. एफ.एस.एल. जॉच रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करेंगे।

14. थाना प्रभारी (यदि स्वयं विवेचना नही करता है तो) प्रकरण की लगातार समीक्षा करेगा।

15. संबंधित थाना क्षेत्र के पर्यवेक्षण अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रकरण की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

16. पुलिस अधीक्षक ऐसे प्रकरणों की मासिक समीक्षा करेंगे, एफएसएल से जॉच रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास करेंगे।

17. 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्संग के प्रकरण की विवेचना दो माह के भीतर पूर्ण की जाये।

18. यदि कतिपय कारणों से प्रकरण की विवेचना दो माह के भीतर पूर्ण नही की जा सकती है तो थाना प्रभारी स्पष्ट कारण लेख कर उप पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेगा एवं पुलिस अधीक्षक के समीक्षा उपरांत उनके निर्देशानुसार अग्रिम विवेचना कार्यवाही करेंगे।

19. प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के उपरांत जिले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी के प्रभारी अभियोग पत्र का परीक्षण करें एवं आवश्यक सुसंगत दस्तावेज (जैसे उम्र संबंधी, मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट आदि) संलग्न होना सुनिश्चित करेंगे।

(ब) जमानत के संबंध में -

1. प्रकरण में आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसका विरोध पत्र तैयार कर आवश्यक दस्तावेज के साथ लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

2. प्रकरण में आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई के समय पीड़ित/साक्षियों को जान से मारने की धमकी/साक्ष्य बदलने हेतु धमकी मिलती है तो उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

(स) प्रकरण के विचारण के संबंध में –

1. प्रकरण में विचारण के दौरान साक्षियों को जारी होने वाले समंस/वारंट की तामिली समय पर कराकर गवाहों को न्यायालय उपस्थित करायेंगे।
2. गवाह समय पर साक्ष्य दें, उन्हे धमकी न मिले एवं उन्हें प्रभावित न किया जा सके। यह जिला के स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी के प्रभारी सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त संबंध में लापरवाही अथवा उदासीनता बरतने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायी होंगे।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार अधीनस्थों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(आर.के. विज)
अति0 पुलिस महानिदेशक, अअवि
हेतु- पुलिस महानिदेशक, छ0ग0

पृ0क्र0- पुमु/CID/LS-1/ / 201 /18 दिनांक 31 /05/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. सचिव, नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
6. समस्त जिला दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़।
7. संचालक/अति0 पुलिस महानिदेशक, एफ.एस.एल. रायपुर।

अति0 पुलिस महानिदेशक, अअवि

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

क्रमांकः- पुमु/अअवि/महिला अप./ M 711 /2021 दिनांक 18 /08/2021

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः- चिहिन्त अपराध योजना को पुनः प्रारंभ किये जाने के संबंध में।
संदर्भः- पुलिस मुख्यालय का पत्र क्रमांक पुमु/अअवि/अपराध शाखा/137/2019 दिनांक 03/04/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्ष 2019 में राज्य में चिन्हित अपराध योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के महत्व को दृष्टिगत रख इसे संशोधित करते हुए पुनः प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया था कि विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों पर घटित होने वाले गंभीर अपराधों में से कम से कम 02 अपराधों का चयन चिन्हित अपराध के रूप में पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जावेगा। इस योजना में शामिल किये जाने वाले अपराधों की प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने से लेकर न्यायालयीन निर्णय तक प्रत्येक दिवसों की कार्यवाही निर्धारित की गई हैं, जो चेकलिस्ट के रूप में पृथक से संलग्न है। चिन्हित अपराध योजना के तहत निम्नलिखित अपराधों को शामिल किया जाये:-

1. 12 वर्ष से कम आयु के बालक के ऊपर लैंगिक हमला/शोषण/उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण।
2. सामुहिक बलात्कार के प्रकरण
3. एसिड अटैक के प्रकरण
4. मानव तस्करी के प्रकरण
5. बाल अश्लीलता के प्रकरण
6. उपरोक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक स्वविवेक से अन्य ऐसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण प्रकरण जो कानून-व्यवस्था को प्रभावित करते हों, का चयन कर सकते हैं।

चयनित प्रकरणों की मॉनिटरिंग के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

1. चयनित 02 प्रकरणों का जब तक चालान पेश नहीं हो जाता तब तक अन्य प्रकरणों का चयन नहीं किया जावे। चालान पेश होने के पश्चात पुनः प्रकरणों का चयन करें।

2. चालान पेश होने के पश्चात संबंधित थाना के किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को प्रकरण की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त करें, जो पेशी तिथि पर पीड़ित/प्रार्थी, गवाह की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, ताकि पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके और प्रकरणों का न्यायालय से शीघ्र विचारण पूर्ण हो सके।

3. इन चयनित अपराधों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय के संपर्क में रहें। लंबी अवधि तक विचारण पूर्ण न होने की स्थिति में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक में प्रकरण को रखें।

4. जिला स्तर पर महिला विरूद्ध अपराध हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किये गये हैं। अतः यथासंभव चिन्हित अपराध योजना के लिए भी उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त कर नाम एवं उनके मोबाईल नंबर से पुलिस मुख्यालय को शीघ्र अवगत कराया जावे।

5. यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018 का पीड़ित को लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

6. प्रत्येक प्रकरण की पुलिस अधीक्षक स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे एवं इसकी प्रगति रिपोर्ट मासिक जानकारी के रूप में संलग्न प्रोफार्मानुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से महिला अपराध सेल, अअवि, पुलिस मुख्यालय को भेजी जावे साथ ही ईमेल आईडी aig04cidphq@gmail.com पर मेल करें।

(एस.सी. द्विवेदी)
उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि

पृ.क्रमांकः- पुमु/अपुअ/अअवि/निस/ M-711 /2021 दिनांक 18/08/2021

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।

उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि

चिन्हित अपराध योजना के तहत बलात्कार के अपराधों के शीघ्र निराकरण हेतु एक्शन प्लान

क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	कार्यवाही समय
01.	महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख करना। यदि किसी कारण से तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और प्रकरण को जांच में रखा गया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी प्रकरण में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना।	तुरंत
02.	सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त घटना स्थल रवाना होना।	प्रथम दिन
03.	घटना स्थल का निरीक्षण कर उसको सुरक्षित (कार्डन ऑफ) करना, घटना का मानचित्र तैयार करना एवं घटना स्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराना।	प्रथम दिवस
04.	FSL टीम को सूचना कर घटना स्थल पर बुलाना एवं घटना स्थल पर मौजूद समस्त साक्ष्यों को एकत्रित करने हेतु निर्देशित करना। आवश्यक होने पर जप्त सामग्री का FSL परीक्षण हेतु दस्तावेज तैयार कर जप्त सामग्री FSL भिजवाना।	01-03 दिन
05.	धारा 164 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तत्काल पीड़िता को महिला स्टाफ के साथ मेडिकल परीक्षण हेतु भेजना। यदि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होती है तो पीड़िता द्वारा बताये गये नामजद आरोपी को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध करना सुनिश्चित करें, पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखना। बाल पीड़िता होने पर थाना के Child Welfare Police Officer और SJPU की मदद लेना।	प्रथम दिन
06.	धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उप निरीक्षक से अनिम्न महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन उसके बतायेअनुसार लेखबद्ध करना, कथन का ऑडियो/वीडियोग्राफी कराना तथा संभव हो तो पीड़िता का कथन उसके घर अथवा ऐसा उपयुक्त स्थान जहाँ पीड़ित सहज महसूस करे वहाँ जाकर लेखबद्ध करना। पीड़ित की निःशक्त होने की स्थिति में विशेषज्ञ, अनुवादक व दुभाषिये की मदद लेना।	प्रथम दिन
07.	पीड़ित यदि नाबालिग है तो उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।	01-02 दिन
08.	चिन्हित अपराध योजना के तहत पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय को प्रकरण की स्पेशल रिपोर्ट भेजना।	प्रथम दिन
09.	संबंधित न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को FIR की प्रति भेजना।	तत्काल
10.	POCSO एक्ट का यदि प्रकरण बनता है तो उसके प्रावधानों को समाहित करना व दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में निर्देशित प्रावधानो को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में समावेश करना।	प्रथम दिन
11.	SC/ST एक्ट में अपराध पंजीयन होने से सक्षम पुलिस अधिकारी (राजपत्रित) को विवेचना हेतु डायरी सौंपना और विवेचक के आने तक साक्ष्य सुरक्षित रखते हुए अपेक्षित मौके की कार्यवाही करना।	01-02 दिन

12.	यदि आई.टी. एक्ट के प्रावधानों का भी प्रकरण है तो संबंधित धारा की अपेक्षा के अनुसार कार्यवाही करना।	प्रथम दिन
13.	मेडिकल परीक्षण उपरांत अस्पताल से प्राप्त (आर्टिकल) जप्त करना, DNA परीक्षण करवाने की स्थिति में जप्त आर्टीकल की "चेन आफ कस्टडी" मेन्टेन रखना और FSL माल भेजते समय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर भेजना।	01 से 03 दिन तक
14.	धारा 160 के तहत साक्षियों के कथन लेख कराने के लिए नोटिस जारी कर बुलाना।	01-07 दिन
15.	पीड़िता के धारा 164 CRPC में कथन हेतु माननीय न्यायालय को तहरीर भेजना - न्यायालय में धारा 164 CRPC के कथन कराना, माननीय न्यायालय से पीड़िता के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति प्राप्त करना।	तत्काल
16.	आरोपी/संदेही पकड़ना/पूछताछ करना, गिरफ्तार करना। यदि आरोपी अवयस्क है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो तत्संबंधी प्रावधानों का पालन करना।	यदि समुचित साक्ष्य है तो प्रथम दिन ही कार्यवाही प्रारम्भ करें और शीघ्र से शीघ्र करें।
17.	आरोपी फरार होने की दशा में आरोपीगण की तलाश करना और वायरलैस सेट पर विभिन्न जिलों को आरोपी की फरारी के संबंध में सूचना प्रदान करना। फरारी की दशा में आरोपी के फोटोग्राफ एवं समस्त जानकारी प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करना एवं से Registry of Sexual Offenders Portal जानकारी प्राप्त करना।	प्रथम दिन से ही
18.	आरोपी के गिरफ्तार होने की स्थिति में उसका मेडिकल परीक्षण कराना, गिरफ्तारी से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना। नाबालिक आरोपी की स्थिति में Juvenile Justice Act 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यवाही करना व SJPU और थाना के Child Welfare Police Officer को सूचित करना, बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना।	गिरफ्तार होने के 24 घण्टे के अंदर
19.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पीड़िता यदि नाबालिग है तो उम्र निर्धारण हेतु धारा 94 किशोर न्याय अधिनियम का पालन करना।	01-07 दिन
20.	घटना से संबंधित सुसंगत जानकारी रखने वाले स्वतंत्र साक्षीयों के कथन लेख करना- साक्षियों के फोटो एवं पहचान पत्र प्राप्त कर डायरी में लगाना। कथन के साक्षीगण का मोबाईल नम्बर प्राप्त करना।	01-10 दिन
21.	पटवारी नक्शा की आवश्यकता होने पर घटना स्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त करना।	01-10 दिन
22.	यदि आरोपी अज्ञात/पूर्व-परिचित नहीं है तो पीड़िता से उसका हुलिया, कद-काठी, उम्र, धारित कपड़े एवं ऐसी अन्य जानकारी एकत्रित करना।	प्रथम दिन से ही कार्यवाही प्रारंभ की जावें।
23.	आरोपी के बायोमैट्रिक एवं मेडिकल पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।	प्रथम दिन से ही कार्यवाही प्रारंभ की जाये

24.	घटित घटना में यदि मोबाईल फोन का प्रयोग हुआ है तो संबंधित नम्बरों की सी.डी.आर. तथा टॉवर लोकेशन हेतु पत्र तैयार कर भिजवाना। सी.डी.आर. विश्लेषण करना।	01-10 दिन
25.	यदि घटना कहीं अन्यत्र ले जाकर घटित की गई है तो उस स्थान/शहर में जाकर घटना स्थलों/स्थानों का निरीक्षण कर उपलब्ध साक्षियों के कथन लेना ।	प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दिन से ही।
26.	होटल/लॉज आदि ठहरने के स्थानों का रिकॉर्ड/बस-ट्रेन यात्रा का रिकार्ड प्राप्त करना।	01-15 दिन
27.	घटना स्थल के आसपास शासकीय/निजी CCTV कैमरों की स्थापना की जानकारी लेना और इनके रिकार्डेड फुटेज का अध्ययन करना। सुसंगत फुटेज मिलने की दशा में विधियत कार्यवाही करना।	01-07 दिन
28.	यदि पीड़िता घटित घटना पर से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही हो तो उसका परामर्श मनोचिकित्सक से कराकर उसे मानसिक तनाव से मुक्त कराने का प्रयास करना तथा पुनर्वास की आवश्यकता हो तो उपलब्ध करायें।	01-07 दिन
29.	आरोपी की तलाश करना न मिलने पर फरारी पंचनामा तैयार करना।	चालान बनाने से पूर्व
30.	आरोपी गिरफ्तार होने पर उनकी जमानत आवेदन लगने पर पुलिस का मत अभियोजन को सूचित करना एवं अभियोजन अधिकारी के माध्यम से जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करना।	यथा समय
31.	आरोपी फरार होने की स्थिति में चल/अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना।	15 दिन के अंदर
32.	आरोपी की शिनाख्तगी कार्यवाही करवाना।(प्रकरण में आवश्यकतानुसार)	गिर. होने के बाद [illegible] दिन में
33.	यदि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसकी शिनाख्तगी परेड एवं अन्य कोई कार्यवाही शेष हो तो न्यायालय से अनुमति लेकर कार्यवाहियां संपादित कराना सुनिश्चित करें।	गिर. होने के बाद 3 दिन में
34.	आरोपी गिर. नही होने की स्थिति में धारा 82, 83 जाफौ0 की कार्यवाही कराना। धारा 299 में फरारी की उदघोषणा कराना एवं पुलिस अधीक्षक से ईनाम की उद्घोषणा कराना।	चालान बनाने के पूर्व
35.	यदि आरोपी का डी.एन.ए परीक्षण कराया जाना है तो विधियत माननीय न्यायालय से अनुमति लेना,, नियत दिनांक को जेल से आरोपी का ब्लड सेंपल का नमूना डॉक्टर के माध्यम से लिया जाना,एफ.एस.एल. डॉक्टर से ड्राफ्ट तैयार कराना तथा ब्लड सेंपल परीक्षण हेतु मय ड्राफ्ट के एफ.एस.एल./डी.एन.ए/शिनाख्तगी परेड की जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।	गिरफ्तार होने के 2 दिन में
36.	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर भेजे गये, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित निर्देशों के पालन में शेष अन्य कार्यवाही करना।	यथा समय-चालान /खात्मा/खारिजी से पर्याप्त समय पूर्व
37.	प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कराना, थाना प्रभारी स्वयं विवेचक न होने पर थाना प्रभारी द्वारा विवेचना का परीक्षण/सत्यापन करना, आरोप पत्र पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर कराना।	शीघ्र से शीघ्र किन्तु 60 दिवस के अंदर

38.	अभियोग पत्र में साक्षीयों के नाम, पता, मोबाईल नम्बर, का उल्लेख करना। मालखाना में जप्त सामान रखे जाने की स्थिति में मालखाना मोहर्रिर का नाम साक्ष्य सूची में जोड़ना/आवश्यक रो0 सो0 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करना एवं साथित करते हुए साक्षी का नाम साक्ष्य सूची में संलग्न करना।	
39.	संबंधित डी.पी.ओ/ए.डी.पी.ओ. से डायरी का अवलोकन कराकर यदि उनकी कोई सलाह है तो इसकी पूर्ति कर चालान अग्रेषित कराना।	प्रकरण में आवश्यकतानुसार
40.	आरोप पत्र में संलग्न दस्तावेज टंकित कराकर उसकी छाया प्रतियाँ कराकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना।	चालान पेश करते समय
41.	पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना हेतु जिला विधिक प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर राहत राशि पीड़िता को दिलवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करना। अ.जा./ज.जा. अधिनियम की धारायें लगी होने पर तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत पीड़ित/परिवार को राहत दिलवाना और अ.जा./ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम में अपेक्षित अन्य कार्यवाही करना।	यथा समय
42.	यदि किसी प्रकरण विशेष में माननीय न्यायालय/आयोग द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश दिये गये है, तो उनका विधि अनुसार एवं दी गई समय-सीमा में पालन करना।	यथा समय
43.	यदि Evidence Act की धारा 65A/65B का प्रमाण पत्र संलग्न करना है तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न करें।	यथा समय/चालान पूर्व
44.	FSL से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट चालान प्रपत्र एवं केस डायरी में संलग्न करना।	यथा समय
45.	बाल पीड़िता होने पर विशेषलोक अभियोजन को स्मरण दिलाना कि प्रकरण में बाल पीड़िता संबंधित J.J. Act 2015 और POCSO Act 2012 के प्रावधानों का Trial के दौरान न्यायालय में पालन कराया जावें।	विचारण दौरान
46.	प्रकरण कायमी से लेकर ट्रायल पूर्ण होने तक आवश्यक मॉनीटरिंग एवं पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही करना/कराना।	चालान पेश करने से ट्रायल पूर्ण होने तक
47.	पुलिस मुख्यालय स्तर से इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, पत्र परिपत्र का पालन सुनिश्चित करना।	विवचेना दौरान

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक - पु0मु0/अअवि/म0वि0अप0/ 05 / 2020, दिनांक 29 .10.2020

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेल सहित
छत्तीसगढ़

विषय :- **महिला विरूद्ध अपराधों की मॉनिटरिंग।**

प्रदेश में घटित हो रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की सतत् मॉनिटरिंग, रोकथाम तथा घटित अपराधों में अपराधियों की धड़पकड़ के लिये पुलिस मुख्यालय में दिनांक 01.11.2020 से महिला सेल प्रारंभ किया जा रहा है। जिसके तहत् महिला सेल, पुलिस मुख्यालय स्तर पर दर्ज हुये अपराधों की मॉनिटरिंग गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से रियल टाईम, दैनिक मॉनिटरिंग कर अलर्ट जारी करेगा और पुलिस महानिदेशक और छ.ग. राज्य शासन को महिला संबंधी दर्ज अपराधों की समय-समय पर रिपोर्ट कर की गई कार्यवाही को प्रेषित करेंगे।

गूगल स्प्रेडशीट का क्रियान्वयन निम्नानुसार है:-

1. प्रत्येक जिले मे अअवि पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार किये गये गूगल स्प्रेडशीट फार्मेट-में प्रति I जानकारी देना है।
2. गूगल स्प्रेडशीट में महिला अपराध की धारा 376,354,304 बी, 363 एवं पॉक्सों एक्ट के लिये पृथक-पृथक शीट तैयार किये गये है।
3. प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक गूगल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिये एक नोडल अधिकारी व नियुक्ति करें।
4. प्रत्येक जिले गूगल स्प्रेडशीट के लिये caw_ के साथ जिले का नाम_@ gmail.com Gmail address बनाकर अअवि पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये।
5. गूगल स्प्रेडशीट में Daily data Entry का कार्य दिनांक 01 नवंबर 2020 से प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक जिले मे पुलिस अधीक्षक महिला विरूद्ध अपराधों के लिये एक विशेष जांच दल का गठन करेंगें। पूर्व में 06 जिलों में रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा में आई यू सी ए डब्ल्यू गठित किया गया है ये ईकाईयां पूर्व मे दिये गये कार्यो के साथ - साथ जारी किये जा रहे दिशा निर्देशो के अनुरूप गंभीरता से कार्य करेगी ।
7. अअवि पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलो से प्राप्त गूगल स्प्रेड की समीक्षा कर संबंधित जिलों को एलर्ट जारी करेगा।

M-3372
जा.क्र.______________पु.मु. / ...
अ.अ.वि..दिनांक______/______/ 2.11.20

येलो एलर्ट

1. एफ आई आर दिनांक से गिरफ्तारी 15 दिवस में नही होने पर।

M. 2566 पु.मु./निज सहा./सचिव..
अवि/______/दिनांक 02/11/2020

रेड एलर्ट

1. गिरफ्तारी दिनांक से 15 दिवस में चालान पेश नही करने पर

ब्लेक लिस्ट

1. गिरफ्तारी दिनांक से 60 दिवस में चालान पेश नही करने पर ब्लेक लिस्ट जारी किया जायेगा संबंधित जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नही दिये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांचकर्ता अधिकारी को निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया जाना अनिवार्य होगा।

- ऐसे यौन अपराध जिसमें धारा 376 भादवि, पॉक्सो धारा 4 एवं 6 या धारा 354 एवं पॉक्सो धारा 4 एवं 6 दोनो के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है मे भी वांछित जानकारी सीसीटीएनएस मे भरना सुनिश्चित किया जाये ताकि ऐसे प्रकरणों की मॉनिटरिंग Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) के माध्यम से पुलिस मुख्यालय स्तर पर की जा सके।
- गूगल स्प्रेडशीट महिला संबंधी अपराधों की जानकारी ईमेल आईडी cawcid@gmail.com एवं पुलिस अधीक्षक अअवि मो.न. 94791-94901 एवं निरीक्षक रोशनी वासनिक के मोबाईल नं 94791-61911 पर भेजा जा सकता है।

सुपर इंवेस्टिगेटर महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में विवेचक/ पर्यवेक्षण अधिकारी शीघ्रता से विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर लगातार सुनवाई कराना सुनिश्चित करें तथा आरोपी को सजा होने पर विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारी को सुपर इनवेस्टीगेटर रिवार्ड दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार महिला विरूद्ध अपराध का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर त्वरित कार्यवाही करना सुंनिश्चित की जाये। पत्र अभिस्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ करने की पालन प्रतिवेदन तत्काल दिया जाये।

(डी.एम.अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़

क्रमांक - पु0मु0/अअवि/म0वि0अप0/ 05-A/ 2020,
दिनांक 29 .10.2020

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू :-

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज, छत्तीसगढ़।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक (अअवि) पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़

DIG/GD
AIG/CID
CAW

आवश्यक/समय-सीमा

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़,
सेक्टर-19, नया रायपुर-492002

क्रमांक पुमु/अमनि/अअवि/बाल-अपराध/ 65 /17 दिनांक 29/07/2017

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
छत्तीसगढ़

विषयः- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई के संबंध में।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम; 2015 की धारा 107(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम-से-कम एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप निरीक्षक से कनिष्ठ नहीं होगा, को **'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी'** के रूप में नामांकित किया जाये। इस पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चों से संबंधित समन्वय व आवश्यक कार्यवाही को अंजाम देगा।

2. धारा 107(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में **'विशेष किशोर पुलिस इकाई'** का गठन किया जायेगा, जिसका प्रभारी अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ नहीं होगा। इस इकाई में जिले के थानों के समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे, जिन्हें बाल कल्याण क्षेत्र में अनुभव हो एवं इनमें से कम-से-कम एक महिला कार्यकर्ता होंगी।

3. धारा 107(3) में यह प्रावधान है कि जिले की विशेष किशोर पुलिस इकाई के समस्त पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति कर सके।

अतः उपरोक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षकों द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर.के. विज)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
हेतु-पुलिस महानिदेशक

क्रमांक पुमु/अमनि/अअवि/बाल-अपराध/ 65 /17 दिनांक 29/07/2017

प्रतिलिपिः-

समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज, छत्तीसगढ़ की ओर कृपया उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण व अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
हेतु-पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नया रायपुर-492002

क्रमांकः-पुमु/अअवि/बाल अपराध शाखा/76/2017 नया रायपुर दिनांक 12/09/2017
प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छ0ग0)

विषयः- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के संबंध में प्रक्रियाओं का पालन करने बावत्।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 08,09,18 एवं 69 (घ) के संबंध में नीचे दिये गये निर्देशानुसार प्रक्रियाओं का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया ''जघन्य अपराध'' अभिकथित हो या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध व्यवस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किये जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाये। अन्य मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किये गये अभिकथित अपराध की सूचना साधारण ''दैनिक डायरी'' में अभिलिखित करेंगा, एवं प्रारूप-01 में बालक की समाजिक पृष्ठभूमि और बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को भेजेगा। परन्तु, पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल ''जघन्य अपराधों'' में ही की जाये, जब वह बालक के सर्वोत्तम हित में हो। {नियम 8 (1)}
2. जब विधि का उल्लघंन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकडती है, तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौपेगा। जो बालक के माता-पिता या संरक्षक तथा संबधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे और बालक का 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। {नियम 8 (2)}
3. विधि का उल्लघंन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी उस बालक को पुलिस हवालात में नही भेजेगा और न ही कोई हथकड़ी

या जंजीर पहनायेगा। बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा। {नियम 8 (3)}

4. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को हमेशा सादे कपड़ों में रहना चाहिए। {नियम 8 (4)}

5. जिले के सभी अभिहित विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, परीविक्षा अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चाईल्ड लाईन के सदस्यों की सूची, बाल कल्याण समिति के सदस्यों की सूची और उनके संपर्क नम्बर प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप सूचना पटल पर दर्शाया जायें। {नियम 8 (6)}

6. जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने के समय से 24 घण्टे के भीतर पुलिस द्वारा उस बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाले रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। {नियम 9 (1)}

7. यदि बोर्ड की बैठक न हो तो विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बाल को अधिनियम की धारा-7 की उप धारा (2) के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य समक्ष प्रस्तुत किया जाये। {नियम 9 (5)}

8. यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमों के नियम-69घ के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद 24 घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। {नियम 9 (6)}

9. जो कोई भी बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा वह अनिवार्य रूप से प्रारूप-17 मे रिपोर्ट करेगा जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में पाया गया है, उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जायेगा। {नियम 18 (2)}

10. बालक की पेहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा बालक को प्राप्त किया जाये। जिस बालक को रात भर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हो तब प्रारूप-42 अनिवार्य रूप से भरा जावे तथा साथ ही बालक की चिकित्सा रिपोर्ट भी संलग्न किया जाये। {नियम 69 (घ)}

11. किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी किसी सामग्री का प्रकाशन या प्रचार नही किया जाये, जिससे बालक की पहचान उजागर हो।

12. किशोर का रिकार्ड पूरी तरह गोपनीय रखा जाना चाहिए और अधिकृत अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी नही दी जानी चाहिए।

अतः उपरोक्तानुसार नियमों का पालन करते हुए की गई कार्यवाही की जानकारी से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(आर.के.विज)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

पृ.क्रमांकः-पुमु/अअवि/बाल अपराध शाखा/76/2017 नया रायपुर दिनांक 13/9/2017

प्रतिलिपि :-

01. समस्त पुलिस महानिरीक्षक-रेंज छत्तीसगढ़ की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय,छत्तीसगढ़,
सेक्टर–19, अटल नगर रायपुर

क./पुमु/उमनि/महिला प्रकोष्ठ/372 /2019 दिनांक 12/04/19

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक
रेल सहित, छत्तीसगढ़।

विषय :– छ0ग0 शासन द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2011 का संशोधित क्षतिपूर्ति योजना–2018 की अधिसूचना के संबंध मे।

संदर्भ :– छ0ग0 शासन, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक/एफ–3–67/2018/गृह–दो अटल नगर रायपुर दिनांक 04.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न अधिसूचना का अवलोकन ने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2018 संशोधित अधिसू[illegible] जारी किया गया है। यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) कमांक 46 रा[illegible] बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2019 –माघ, शक 1940 को प्राधिकार से प्रकाशित हुआ [illegible] यह योजना यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के [illegible] क्षतिपूर्ति योजना, 2018 कहलायेगी।

अतः पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2018 के संबंध में जारी अधिसूचना छत्तीस[illegible] राजपत्र (असाधारण) में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति से इस कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

12.4.19

हेतु–अति0पुलिस महानिदेशक
(अअवि)
पु0 मु0, अटलनगर रायपुर

क./पुमु/उमनि/महिला प्रकोष्ठ/ /2019 दिनांक /04/19

प्रतिलिपि :–

01 समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर एवं सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हेतु–अति0 पुलिस महानिदेशक
(अअवि)
पु0 मु0, अटलनगर रायपुर

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2019 — माघ 24, शक 1940

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2019

अधिसूचना

कमांक–एफ 3–67/2018/गृह–दो.– रिट पिटीशन (सी) क्र. 565/2012 निपुन सक्सेना एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य, आदेश दिनांक 05–09–2018 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यह निर्देश अभिकथित किया जाता है कि "नालसा की यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिये क्षतिपूर्ति योजना 2018", पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) के अधीन यौन अपराध से पीड़ित बच्चों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिये विशेष न्यायालय के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार के समन्वयन से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों, जिन्हें यौन हमले (यौन उत्पीड़न) या अन्य अपराधों के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो, के पुनर्वास के संबंध में निधि का प्रावधान करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:–

योजना

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) यह योजना यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018 कहलायेगी।

   (2) यह दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

   (3) यह पीड़ित और उसके आश्रित(ों), जिसे कारित अपराध के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को लागू होगा।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) "संहिता" से अभिप्रेत है दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

   (ख) "आश्रित" से अभिप्रेत है पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा–दादी, अविवाहित पुत्री और अवयस्क बच्चे, जैसा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप खण्ड मजिस्ट्रेट/स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) /अन्वेषण अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर या आश्रितों के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर या उसकी स्वयं की जांच के आधार पर अवधारित किया जाये;

(ग) "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/डीएलएसए" से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए),

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इस योजना में संलग्न प्ररूप;

(ङ) "निधि" से अभिप्रेत है इस योजना के पैरा 3 के अधीन गठित पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि;

(च) "केन्द्रीय निधि/सीव्हीसीएफ" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना, 2015 से प्राप्त निधि;

(छ) "पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि" से अभिप्रेत है राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि और केन्द्रीय निधि से पीड़ित महिला को संवितरण हेतु प्रदत्त निधि;

(राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि का एक पृथक बैंक खाता, एक बड़ी निधि के भाग के रूप में संधारित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना में अभिदत्त निधि अन्तर्विष्ट होगी, जिसमें राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त निधि के अतिरिक्त निर्भया निधि से अभिदान किया जाता है, जिसे केवल इस योजना के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों के लिये उपयोग किया जायेगा।)

(झ) "सरकार" से अभिप्रेत है 'राज्य सरकार', जहां राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अथवा राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि के संदर्भ में है तथा 'केन्द्रीय सरकार' जहां केन्द्रीय सरकार की पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना के संदर्भ में है और इसमें संघ क्षेत्र सम्मिलित है;

(ञ) "क्षति" से अभिप्रेत है इस योजना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई क्षति,

(ट) "अवयस्क" से अभिप्रेत है बालिका, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो;

(ठ) "अपराध" से अभिप्रेत है महिला के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता या किसी [illegible] के अधीन कारित दण्डनीय अपराध;

(ड) "दण्ड संहिता" से अभिप्रेत है भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45);

(ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस योजना से संलग्न अनुसूची;

(ड़) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/एसएलएसए" से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधि[illegible] अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 6 में यथा परिभाषित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ([illegible]एलएसए);

(त) "यौन हमले (यौन उत्पीड़न) के पीड़ित" से अभिप्रेत है महिला, जो धारा 376(क) से (ङ), धारा 354(क) से (घ), धारा 509 भा.द.वि. में सम्मिलित यौन अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक या शारीरिक क्षति या दोनों से पीड़ित हो;

(थ) "अन्य अपराध से पीड़ित महिला/उत्तरजीवी" से अभिप्रेत है ऐसी महिला, जो संलग्न अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख, धारा 326क, धारा 498क सम्मिलित है, (अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप की शारीरिक क्षति के मामले में), के परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक क्षति से पीड़ित है, जिसमें प्रयत्न और दुष्प्रेरण भी शामिल है।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इस योजना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अथवा/और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) में उनके लिये समनुदेशित है।

3. **पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि का गठन.–** (1) एक निधि अर्थात् पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि होगी, जिससे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित क्षतिपूर्ति की राशि का, पीड़ित महिला या उसके आश्रित(तों) को, जिन्हें उस अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता हो, भुगतान किया जायेगा।

(2) "पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि" में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:–

(क) केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि योजना, 2015 से प्राप्त अभिदान;

(ख) एसएलएसए के लिये सहायता अनुदान में बजटीय आबंटन, जिसके लिये सरकार द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा;

(ग) सिविल/आपराधिक अधिकरण द्वारा आदेशित कोई धनराशि, जो इस निधि में जमा की जायेगी;

(घ) अपचारी/अभियुक्त से योजना के खण्ड 13 के अधीन वसूल की गई क्षतिपूर्ति राशि;

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/समाजसेवी/धमार्थ संस्थाओं/संगठनों और राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत अनुमति से प्राप्त दान/अभिदान;

(च) सीएसआर (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अन्तर्गत कंपनी से प्राप्त अभिदान।

(3) उक्त निधि को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) द्वारा संचालित किया जायेगा।

4. **क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता.**– पीड़ित महिला या उसके आश्रित(ों), जैसी भी स्थिति हो, वे उनको लागू बहु योजनाओं से प्राप्त क्षतिपूर्ति अनुदान के लिये पात्र होंगे। तथापि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357ख के संबंध में अन्य योजनाओं में उनके द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति को ऐसे पश्चातवर्ती आवेदन में मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

5. **एसएलएसए या डीएलएसए के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया.**– प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अनिवार्य रिर्पोटिंग:– स्टेशन हाउस अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/डीसीपी, इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के कारित होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसके पंजीकरण के तुरन्त पश्चात् प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत (शेयर) करेंगे, जिसमें धारा 326क, 354क से 354घ, 376क से 376ङ, 304ख, 498क (इस अनुसूची के अन्तर्गत शारीरिक क्षति के मामले में) शामिल है, जिससे कि समुचित मामलों में, एसएलएसए या डीएलएसए, अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन से तथ्यों का प्रारंभिक सत्यापन स्वविवेक से कर सके।

अंतरिम/अंतिम क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन, एसएलएसए या संबंधित डीएलएसए के समक्ष पीड़ित और/या उसके आश्रित(ों) या उस क्षेत्र के स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) या आपराधिक शिकायत, जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, की एक प्रति के साथ प्ररूप 'एक' में प्रस्तुत किया जायेगा तथा यदि उपलब्ध हो, तो चिकित्सा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, जहां लागू हो, न्यायालय के निर्णय/अनुशंसा की प्रतिलिपि, यदि विचारण समाप्त हो गया हो, प्रस्तुत किया जायेगा।

6. **आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान.**– क्षतिपूर्ति के लिये अनुशंसा/आवेदन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या यह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित किया जायेगा। संबंधित डीएलएसए का सचिव, इस योजना के अनुसार उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन/अनुशंसा पर निर्णय लेगा।

स्पष्टीकरण:– ऐसिड हमले के पीड़ित के मामले में, निर्णायक प्राधिकरण, आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड होगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी वि. यूनियन ऑफ इंडिया, डब्ल्यू.पी. (क्रि.) 129/2006 आदेश दि. 10.04.2015 में निर्देशित किया गया है, जिसमें जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

7. **राहत, जो कि राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी.**– एसएलएसए या डीएलएसए, पीड़ित या उसके आश्रितों को उस सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, जैसा कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

8. **क्षतिपूर्ति प्रदान करने के दौरान तथ्यों पर विचार किया जायेगा.**– किसी मामले के विनिश्चय के दौरान, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई हानि या क्षति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकता है:–

(1) अपराध की गंभीरता तथा पीड़िता को हुई शारीरिक या मानसिक हानि या क्षति की तीव्रता;

(2) जांच/अन्वेषण/विचारण (आहार धन से अन्यथा) के दौरान पीड़िता से परामर्श, अंतिम संस्कार, यात्रा सहित शारीरिक और/या मानसिक स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा उपचार पर उपगत व्यय या उपगत होने की संभावना;

(3) अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सीय उपचार, अन्वेषण तथा अपराध के विचारण के कारण या अन्य किसी कारणवश विद्यालय/महाविद्यालय से अनुपस्थिति के कारण शिक्षा के अवसर की हानि;

(4) अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सीय उपचार, अन्वेषण तथा अपराध के विचारण के कारण या अन्य किसी कारणवश रोजगार के स्थान पर अनुपस्थिति से रोजगार की हानि;

(5) अपराधी का पीड़ित से संबंध, यदि कोई हो;

(6) क्या दुर्व्यवहार एक अलग घटना थी अथवा क्या दुर्व्यवहार उस समय के दौरान हुआ था।

(7) क्या अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई है, या क्या उसे गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) कराना पड़ा/बच्चे को जन्म दिया, तो ऐसे बच्चे के पुनर्वास की आवश्यकता भी शामिल है;

(8) क्या पीड़िता ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप एक यौन संक्रमित रोग (एसटीडी) से ग्रसित हो गई,

(9) क्या पीड़िता अपराध के परिणामस्वरूप ह्यूमन इम्यूनोडिफिसीएनसी वायरस (एचआईव्ही) से ग्रसित हो गई;

(10) क्या पीड़िता अपराध के परिणामस्वरूप किसी निःशक्तता से ग्रसित हो गई;

(11) पीड़िता, जिस पर अपराध कारित किया गया है, की वित्तीय स्थिति, जिससे पीड़िता की पुनर्वास और पुनः संरचना की आवश्यकता को निर्धारित किया जा सके;

(12) मृत्यु के मामले में, मृतक की आयु, उसकी मासिक आय, आश्रितों की संख्या, जीवन की [illegible]याशा, भविष्य के प्रसार/विकास संभावनायें आदि;

(13) या कोई अन्य तथ्य, जिसे एसएलएसए/डीएलएसए उचित तथा पर्याप्त समझे।

9. **क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया.**– (1) जहाँ भी संहिता की धारा 357क की उप-[illegible] और/या उप–धारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जाती है या किसी [illegible] या उसके आश्रित(ों) द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता [illegible] 357क की उप–धारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अंतरिम क्षतिपूर्ति के लिये, वे क्षतिपू[illegible] आवश्यकता और पीड़ित की पहचान के संबंध में प्रथम दृष्टया स्वयं संतुष्ट होंगे। अंतिम क्षतिपूर्ति के संबं[illegible] अपराध के परिणामस्वरूप हानि/क्षति और पुनर्वास आवश्यकताओं के संबंध में दावे के तथ्यों की सत्यता [illegible] मामले की जांच करेंगे और दावे का निर्णय करने हेतु वे कोई अन्य सुसंगत आवश्यक जानकारी भी उससे म[illegible]सकेंगे:

परन्तु यह कि अपराध कारित होने के पश्चात् किसी भी समय, समुचित मामलों में तथा [illegible]मस्त ऐसिड हमलों के मामले में, सचिव, एसएलएसए या सचिव, डीएलएसए, स्वविवेक से या तथ्यों के प्रारंभि[illegible] सत्यापन के पश्चात्, अंतरिम राहत प्रदान कर सकेंगे, जैसा कि प्रत्येक मामले में परिस्थिति अनुसार अपेक्षित हो।

(2) संहिता की धारा 357क की उप–धारा (5) के अधीन यथा परिकल्पित जांच, शीघ्रता से पूर्ण की जायेगी तथा अवधि को दावे/याचिका या अनुशंसा की प्राप्ति से साठ दिवस से अधिक, किसी भी दशा में नहीं बढ़ाया जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसिड हमले के प्रकरणों में, डीएलएसए के संज्ञान में मामले के आने के 15 दिवस के भीतर पीड़िता को एक लाख रूपये की राशि भुगतान की जायेगी। मामले के संज्ञान में आने के 7 दिवस के अन्दर डीएलएसए द्वारा अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला आदेश पारित किया जायेगा और आदेश पारित होने के 8 दिवस के अन्दर एसएलएसए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। तत्पश्चात्, दो लाख रूपये की राशि पीड़िता को यथा संभव शीघ्र और सकारात्मक रूप से प्रथम भुगतान के दो माह के अन्दर भुगतान की जायेगी:

परन्तु यह और कि पीड़िता को ऐसी और राशि का भी भुगतान किया जायेगा, जो कि इस योजना के अधीन स्वीकृत की गई हो।

(3) यथास्थिति, एसएलएसए या डीएलएसए, मामले पर विचार करने के उपरांत, संतुष्ट होने पर, पीड़िता या उसके आश्रित(ों) को, इस योजना से संलग्न अनुसूची के अनुसार, योजना के खण्ड 8 में उल्लिखित तथ्यों पर ध्यान देते हुए, प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा का विनिश्चय करेंगे। तथापि, समुचित मामलों में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, उच्चतर सीमा को बढ़ाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित अवयस्क है, तो क्षतिपूर्ति की सीमा, इस योजना से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राशि से 50 प्रतिशत अधिक समझी जायेगी।

* ऐसिड हमले की पीड़िता, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के ज्ञापन क्रमांक 24013/94 विविध/2014–सीएसआर–तृतीय/जीओआई/एमएचए, दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत एक लाख रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की भी हकदार है।

ऐसिड हमले की पीड़िता, जिसे अतिरिक्त उपचार व्यय की आवश्यकता है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीव्हीसीएफ) दिशानिर्देश 2016 ज्ञापन कमांक 24013/94 विविध/2014–सीएसआर–तृतीय/ एमएचए/जीओआई, दिनांक 06.09.2016 के अन्तर्गत प्रदत्त क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, पांच लाख रूपये की अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता की भी हकदार है।

(4) एसएलएसए या डीएलएसए, किसी भी अभिलेख को मंगा सकेगा या प्राधिकारी/स्थापना/व्यक्ति/पुलिस/संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ से इस योजना के सुचारू कियान्वयन के लिए सहयोग ले सकेगा।

(5) यदि विचारण/अपीलीय न्यायालय यह निष्कर्ष देता है कि आपराधिक शिकायत और अभियोग असत्य थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण, इस योजना के अधीन अंशतः या पूर्णतः प्रदान की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, की अर्थदण्ड के रूप में वसूली के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करवा सकेगा।

10. **आदेश का रिकार्ड रखा जाना.**– इस योजना के अधीन पारित अंतरिम या अंतिम क्षतिपूर्ति के आदेश की प्रति, विचारण न्यायालय के रिकार्ड में रखी जायेगी, ताकि विचारण न्यायालय, संहिता की धारा 357 के अधीन क्षतिपूर्ति का समुचित आदेश पारित करने में समर्थ रहे। आदेश की सत्यप्रतिलिपि, प्रकरण के संबंध में जांच लंबित रहने की स्थिति में अन्वेषण अधिकारी को और यथास्थिति, पीड़ित/आश्रित (ों) को भी प्रदान की जायेगी।

11. **क्षतिपूर्ति के संवितरण की रीति.**– (1) इस प्रकार प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि, एसएलएसए के द्वारा पीड़ित/आश्रित(ों) के संयुक्त या एकल नाम से बैंक खाते में जमा करके संवितरीत की जायेगी। पीड़ित का कोई बैंक खाता न होने की स्थिति में, संबंधित डीएलएसए, पीड़ित के नाम से और पीड़ित के नाबालिग होने की स्थिति में, अभिभावक के साथ बैंक खाता खुलवायेगा अथवा नाबालिक, बाल देखभाल संस्थान में होने की स्थिति में, अभिभावक के रूप में संस्था के अधीक्षक के साथ बैंक खाता खुलवायेगा। तथापि, पीड़िता, एक विदेशी राष्ट्र की या एक शरणार्थी होने की स्थिति में, क्षतिपूर्ति का संवितरण कैश कार्ड के माध्यम से किया जा सकेगा।

अंतरिम राशि, पूर्णतः संवितरीत की जायेगी। तथापि, जहां तक अंतिम क्षतिपूर्ति राशि का संबंध है, उसमें से यथास्थिति, 75% (पचहत्तर प्रतिशत) को तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सावधिक जमा खाते में रखा जायेगा और शेष 25% (पच्चीस प्रतिशत) को, पीड़ित/आश्रित(ों) द्वारा उपयोग और प्रारंभिक खर्च के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(2). नाबालिग के मामले में, इस प्रकार प्रदान की गई 80% क्षतिपूर्ति की राशि, सावधिक जमा खाते में जमा की जायेगी और केवल वयस्कता की आयु की प्राप्ति पर, राशि आहरित की जा सकेगी, किन्तु जमा करने के तीन वर्ष पूर्व आहरित नहीं की जा सकेगी:

आपवादिक मामलों में, एसएलएसए/डीएलएसए के विवेक से तत्काल आवश्यकता के आधार पर लाभार्थी की शिक्षा या चिकित्सा या अन्य उपयोग हेतु राशि आहरित की जा सकेगी।

(3) राशि, यदि एफडीआर के रूप में दी गई है, पर ब्याज, पीड़ित/आश्रित(ों) के बचत खाते में बैंक में सीधे जमा की जायेगी, तो लाभार्थी द्वारा मासिक आधार पर आहरित की जा सकेगी।

12. **पीड़िता को अंतरिम राहत.**– एक पुलिस अधिकारी, जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो, के प्रमाणपत्र पर पीड़िता की पीड़ा के निवारण के लिए या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट या पीड़ित/आश्रितों के आवेदन पर या स्वयं के संज्ञान पर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, तत्काल प्राथमिक सहायता सुविधा या निःशुल्क चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने या किसी अन्य अंतरिम राहत (अंतरिम मौद्रिक क्षतिपूर्ति सहित), जो कि समुचित समझा जाये, के लिये आदेश दे सकेगा:

परन्तु यह कि जैसे ही क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन, एसएलएसए/डीएलएसए द्वारा प्राप्त किया जाता है, 5,000/– रूपये या वारंट मामले में 10,000/–रूपये तक की राशि, सचिव, डीएलएसए या सदस्य सचिव, एसएलएसए द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से पीड़िता को तत्काल प्रदान की जायेगी:

परन्तु यह और कि इस प्रकार प्रदान की गई अंतरिम राहत, इस योजना से संलग्न अनुसूची के अनुसार प्रदान योग्य अधिकतम क्षतिपूर्ति के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिसका पूरा भाग पीड़िता को भुगतान किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसिड हमले के मामले में, पीड़िता को एक लाख रूपये की राशि, मामले के एसएलएसए/डीएलएसए के संज्ञान में आने के 15 दिवस के भीतर भुगतान की जायेगी। एसएलएसए/डीएलएसए द्वारा, इसके संज्ञान में आने के 7 दिवस के भीतर अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाने वाला आदेश पारित किया जायेगा और एसएलएसए, आदेश पारित करने के 8 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। तत्पश्चात्, दो लाख रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी और पीड़िता को यथासंभव शीघ्रता से एवं सकारात्मक रूप से दो माह के भीतर भुगतान की जायेगी।

13. **पीड़िता या उसके आश्रित(ों) को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि की वसूली.–** संहिता की धारा 357क की उप–धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, समुचित मामलों में, उन व्यक्ति(यों) से, जो उसके द्वारा किये गये अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित करने हेतु जिम्मेदार है, से पीड़िता या उसके आश्रित(ों) को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु सक्षम विधि न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि, पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति निधि में जमा की जायेगी।

14. **निर्भरता प्रमाणपत्र.–** निर्भरता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सशक्त प्राधिकारी पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा, किसी भी स्थिति में, इस अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगा:

परन्तु यह कि 15 दिवस की समाप्ति के पश्चात्, निर्भरता प्रमाणपत्र जारी नहीं करने की स्थिति में, एसएलएसए/डीएलएसए, दावेदार से प्राप्त शपथपत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा।

15. **नाबालिग पीड़िता.–** यदि पीड़िता माता–पिता या किसी कानूनी अभिभावक के बिना, एक अनाथ नाबालिग है, तो तत्काल राहत या अंतरिम क्षतिपूर्ति का संवितरण, बाल देखभाल संस्था, जहां बच्चा रहता है, उसके अधीक्षक की संरक्षता में खोले गये, बच्चे के बैंक खाते में या उसकी अनुपस्थिति में, वहां के डीडीओ/एसडीए जैसी भी स्थिति हो, के खाते में किया जायेगा।

16. **परिसीमा.–** इस योजना के अधीन पीड़िता या उसके आश्रित(ों) के द्वारा संहिता की धारा 357क की उप–धारा (4) के अधीन किया गया कोई दावा, अपराध के घटित होने के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् या विचारण के [illegible] करण के बाद, ग्रहित नहीं किया जायेगा।

तथापि, समुचित मामलों में, इस संबंध में आवेदन किये जाने पर, एसएलएसए /डीएलएसए द्वारा, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, 3 वर्ष के बाद के विलंब को, माफ किया जा सकेगा।

17. **अपील.–** यदि पीड़िता या उसके आश्रित, सचिव, डीएलएसए के द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की मात्रा से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर अध्यक्ष, डीएलएसए के समक्ष अपील कर सकते हैं:

परन्तु यह कि समुचित मामलों में, इस संबंध में आवेदन किये जाने पर, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अपील किये जाने में विलंब को, माफ किया जा सकेगा।

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.–** (1) यदि यह योजना, महिला को प्रदत्त पीड़ित क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी मामले पर मौन है, तो राज्य की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) इस योजना में दी गई कोई भी बात, पीड़ितों या उनके आश्रित (ों) को, अपराध करने वाले या किसी भी अन्य व्यक्ति को परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराने के विरूद्ध, कोई सिविल वाद या दावा संस्थित करने से नहीं रोकेगी।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का सं. 32) के अधीन नाबालिग पीड़ितों पर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप–सचिव.

अपराध से पीड़ित महिला को लागू अनुसूची

स. क्र.	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा	क्षतिपूर्ति की उच्चतम सीमा
1.	जीवन की हानि	5 लाख रूपये	10 लाख रूपये
2.	सामूहिक बलात्कार	5 लाख रूपये	10 लाख रूपये
3.	बलात्कार	4 लाख रूपये	7 लाख रूपये
4.	अप्राकृतिक यौन हमला	4 लाख रूपये	7 लाख रूपये
5.	किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 80% स्थायी विकलांगता या उससे उपर है	2 लाख रूपये	5 लाख रूपये
6.	किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 40% तथा 80% से नीचे स्थायी विकलांगता है	2 लाख रूपये	4 लाख रूपये
7.	किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 20% से उपर तथा 40% से नीचे स्थायी विकलांगता है	1 लाख रूपये	3 लाख रूपये
8.	किसी भी अंग या शरीर के भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 20% से नीचे स्थायी विकलांगता है	1 लाख रूपये	2 लाख रूपये
9.	गंभीर शारीरिक क्षति या कोई मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास अपेक्षित है	1 लाख रूपये	2 लाख रूपये
10.	भ्रूण की क्षति अर्थात् हमला या क्षति के परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ हो	2 लाख रूपये	3 लाख रूपये
11.	बलात्कार के कारण गर्भधारण के प्रकरणों में	3 लाख रूपये	4 लाख रूपये
12.	जलने से पीड़ितः		
क.	चेहरे के विद्रूपीकरण के प्रकरण में	7 लाख रूपये	8 लाख रूपये
ख.	50% से अधिक क्षति के प्रकरण में	5 लाख रूपये	8 लाख रूपये
ग.	50% से कम क्षति के प्रकरण में	3 लाख रूपये	7 लाख रूपये
घ.	20% से कम क्षति के प्रकरण में	2 लाख रूपये	3 लाख रूपये
13.	ऐसिड हमले से पीड़ित		
क.	चेहरे के विद्रूपीकरण के प्रकरण में	7 लाख रूपये	8 लाख रूपये
ख.	50% से अधिक क्षति के प्रकरण में	5 लाख रूपये	8 लाख रूपये
ग.	50% से कम क्षति के प्रकरण में	3 लाख रूपये	5 लाख रूपये
घ.	20% से कम क्षति के प्रकरण में	3 लाख रूपये	4 लाख रूपये

नोटः यदि यौन उत्पीड़न/ऐसिड हमले से पीड़ित महिला, अनुसूची की एक या एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आती है, तो वह क्षतिपूर्ति की संयुक्त राशि प्राप्त करने की हकदार होगी।

प्रारूप–एक

यौन उत्पीडन/अन्य अपराधों से पीड़ित महिला/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018 के अन्तर्गत महिलाओं के लिये अंतरिम/अंतिम राहत हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

1.	आवेदक पीड़ित(ों) या उसके आश्रित(ों) के नाम	
2.	पीडित(ों) या उसके आश्रित(ों) की आयु	
3.	(क) पिता का नाम (ख) माता का नाम (ग) पति–पत्नी का नाम	
4.	पीड़ित(ों) या उसके आश्रित(ों) का पता	
5.	घटना का दिनांक और समय	
6.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है?	
7.	क्या चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो चिकित्सीय रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाणपत्र/शव परीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाये।	
8.	प्रकरण, यदि लंबित है, तो विचारण की स्थिति। (यदि विचारण समाप्त हो चुका है तो न्याय निर्णय की प्रति और दण्ड का आदेश संलग्न किया जाये)	
9.	क्या आवेदक को विचारण न्यायालय या कोई अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदत्त की गई है? यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाये।	
10.	उपगत वित्तीय व्यय/हानि का विवरण दिया जाये।	
11.	क्या कोई सिविल वाद/दावा, अपराध के अपराधी के विरूद्ध संस्थित किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाये।	

पीड़िता/आश्रित के हस्ताक्षर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2019

क्रमांक एफ 3–67/2018/गृह–दो.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4–2–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप–सचिव.

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्र0/पुमु/पुमनि/अजाक/म0प्रको0/ 972 /2014 नया रायपुर, दिनांक 18/10/2014

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित, छत्तीसगढ़।

विषय :- दहेज प्रकरण से संबंधित भादवि की धारा 498–ए भा.द.वि. अथवा 4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम एवं 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की सजा के गिरफ्तारी के संबंध में दिशा–निर्देश।

—0—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य किमिनल अपील नं. 1277/14 निर्णय दिनांक 2 जुलाई 2014 में निर्देश दिये गये हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को पालनार्थ अति आवश्यक है । दिशा निर्देश निम्नानुसार है :–

1. धारा 498–ए भा.द.वि. में पंजीबध्द अपराध में किसी को पुलिस अधिकारी अनावश्यक रुप से गिरफ्तार न करें जब तक उन्हे पूर्ण संतुष्टि न हो जावे कि ऐसी गिरफ्तारी धारा 41 द.प्र.स. के मापदण्ड के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है।

2. समस्त पुलिस अधिकारियों को ऐसी जांच सूची उपलब्ध कराई जावें जिसमें उप कंडिका धारा 41 (1)(b)(ii) में समाविष्ट प्रावधान उदधृत हो।

3. जिस समय अभियुक्त को न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष अग्रिम अभिरक्षा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तब पुलिस अधिकारी सम्यक जांच सूची भेजेगा और उसमें गिरफतारी की आवश्यकता का कारण और समाग्रियों को भी भेजेगा।

4. न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् स्वयं की संतुष्टि होने पर ऐसा अग्रिम निरोध आदेश पारित किया जावेगा।

5. किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने के निर्णय के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी का मामला संस्थित होने के दो सप्ताह के भीतर न्यायिक दण्डाधिकारी को प्रति साथ भेजेगा। अगर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा समय विस्तारित किया जाता है तो कारण अभिलेख में लिखित किया जायेगा।

6. धारा 41 (A) द.प्र.स. के अंतर्गत अभियुक्त को उपस्थिति हेतु सूचना ऐसे प्रकरण में प्रस्तुत के दो सप्ताह के भीतर दी जावेगी। अगर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा समय विस्तारित किया जाता है तो कारण अभिलेख में लिखित किया जायेगा।

7. उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की दशा में संबंधित पुलिस अधिकारी न केवल विभागीय कार्यवाही हेतु दायित्वाधीन होगा साथ ही न्यायालय की अवज्ञा के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा।

8. संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निरोध किये जाने हेतु उक्तानुसार कारण दर्शाये जाने के अभाव में वह संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु दायित्वाधीन होगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देश न केवल धारा 498 (A) भा.द.वि. अथवा 4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के प्रकरण पर लागू होंगे वरन् ऐसें समस्त प्रकरणों पर लागू होंगें जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की सजा जुर्माना सहित या रहित दण्डनीय है।

छ.ग. पुलिस द्वारा उपरोक्त के परिपालन हेतु निम्न प्रारुप दिया जा रहा है–

सूचना अंतर्गत धारा 41 (A) द.प्र.स.

सूचना

प्रति,

....

....

द.प्र.स. की धारा 41 (A) उपधारा (1) के अंतर्गत मैं आपको सूचित करता हूं, कि अपराध कं. ....अंतर्गत धारा ....जो पुलिस थाना ....के समक्ष पंजीबध्द किया गया है पृष्ठ आधार पर यह ज्ञात हुआ है, कि आप .... से प्रकरण के तथ्य तथा परिस्थितियों के संबंध प्रश्न पूछें जावें। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है, कि आप दिनांक .... को पुलिस थाना .... में मेरे समक्ष समय ....अपरान्ह/पूर्वान्ह पर उपस्थित हों।

दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम
शील पदनाम
थाना व जिला–

सुलभ अवलोकन हेतु द.प्र.स. की धारा 41 (1) (b) (ii) निम्नानुसार है–

41 पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी (1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारण्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है –

(ख) जिसके विरुध्द युक्तियुक्त परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, कि उसने ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी कर दी जाती हैं–

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है, कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति कोई और अपराध करने से निवारित करने, या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए या",

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने, या

(घ) ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने से निवारित करने, जिससे उसे न्यायालय–या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सकें या

(ङ.) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और न तो पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा अथवा

(च) जिसके विरुध्द विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना हो, अथवा मृत्यु दण्डावेश से दंडनीय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।

6 41 क. पुलिस अधिकारी समक्ष हाजिर होने की सूचना – (1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहा धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधान के अधीन व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति, जिसके विरुध्द युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई है, या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, को अपने समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, उपसंजात होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा।

(2) जहां ऐसी नोटिस किसी व्यक्ति को जारी की जाती है। तब उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबन्धनों का अनुपालन करें।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है या अनुपालन निरंतर करता है तब उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। जब तक लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी समय नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, या स्वयं की शिनाख्त करने के लिए अनिच्छुक है, पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अध्यधीन, जैसा कि इस निमित्त सक्षमं न्यायालय द्वारा पारित किया जाये, नोटिस में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।

(ए0एन0 उपाध्याय)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़, रायपुर

क0/पुमु/पुमनि/अजाक/म0प्रको0/ 972-ए/2014   नया रायपुर, दिनांक 18/11/2014

प्रतिलिपिः–

1 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ0अ0वि0/ प्रशासन /गुप्तवार्ता/छ0स0बल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2 निर्देशक, पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर को सूचनार्थ एवं प्रशिक्षण में सम्मिलित करने हेतु।
3 समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4 समस्त पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रशिक्षण में सम्मिलित करने हेतु ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज छ0ग0।

(ए0एन0 उपाध्याय)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/पु.मु./अ.पु.अ./सामनि/निस/CAW/PA-4914 A/K
नया रायपुर दिनांक...04/04/2019

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
अटल नगर, रायपुर - 492002

// परिपत्र //

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। देश में विगत वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के साथ कुछ ऐसे अपराध घटित हुए हैं, जो समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक याचिकाओं के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो मुख्य रूप प्रकरणों की समयसीमा के भीतर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने एवं शत-प्रतिशत प्रकरणों में अपराधी को दंडित करने तथा पीड़ित के पुनर्वास/क्षतिपूर्ति पर केन्द्रित रहा है।

अतः महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों में पीड़ित को तत्काल राहत एवं न्याय दिलाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

01. राज्य के छः जिलों में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध की प्रभावी विवेचना हेतु महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान इकाई (IUCAW) एवं शेष जिलों में महिला प्रकोष्ठ कार्यरत है। इसी प्रकार बच्चों के विरूद्ध घटित अपराध के व्यवहरण हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) समस्त जिलों में कार्यरत है। अतः महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्त प्रकरणों की प्रभावी एवं समयसीमा के भीतर विवेचना उक्त इकाईयों द्वारा कराई जावे।

02. पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा एफएसएल, अभियोजन या प्रकरण से संबंधित अन्य विभागों से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु विवेचक को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।

03. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बलात्कार से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं के चिकित्सीय परीक्षण हेतु गाईडलाईन जारी किया गया है (इस संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किये गये है)। अतः उक्त गाईडलाईन के अनुरूप पीड़ितों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।

04. दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम, 2018 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में किये गये संशोधन के परिपालन में बलात्कार के प्रकरणों में अपराध दर्ज होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से विवेचना पूर्ण की जाये।

05. ऐसे प्रकरण, जिनमें चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका हो, इनमें निर्धारित पेशी तिथि को पीड़ित एवं गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

06. राज्य में यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018 लागू है। अतः यौन तथा अन्य अपराधों से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी एवं विवेचक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

07. राज्य में चिन्हित अपराध योजाना प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर व जघन्य अपराधों का चयन इस योजनान्तर्गत किया जाये।

08. अपराध समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महिला एवं बच्चों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा स्वयं करें।

विदित हो कि पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर द्वारा थाना तेलीबांधा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 112/19 धारा 376, 342, 201 भादवि, 4, 5 (ड) (झ) पोक्सो एक्ट के प्रकरण में इसकी गंभीरता को देखते हुए अपनी टीम के साथ अनुसंधान/विवेचना कार्यवाही महज **04 दिवस के भीतर** पूर्ण की जाकर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में शीघ्र 01 माह में विचारण पूर्ण करते हुए अपराधी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 50,500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में रायपुर पुलिस की यह उपलब्धि अनुकरणीय है। सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षकों से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित होने वाले ऐसे जघन्य व गंभीर अपराधों में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3/4

(डी.एम. अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

क्रमांक पुमु/डीजीपी/पीए/358 /2019
दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
02. समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), छत्तीसगढ़।

3/4

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

अपराधों की विवेचना हेतु मार्गदर्शिका

Standard Operating Procedure

01. अपराध का पंजीयन (धारा 154 द.प्र.सं.) :- संज्ञेय अपराध की घटना होने की मौखिक/लिखित रिपोर्ट पर थाने का भारसाधक अधिकारी या उसके निदेशाधीन अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र लेखबद्ध की जावेगी। प्रथम सूचना पत्र की एक प्रति प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। धारा 354, 376 व 509 भा.द.वि. के अधीन किसी अपराध का किये जाने या किये जाने का प्रयत्न की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जावेगी।

यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रिमिनल क्रमांक **68/2008 "ललिता कु विरूद्ध उ.प्र. सरकार एवं अन्य** में पारित निर्णय के अनुसार प्रत्येक संज्ञेय अपराध की सूचना पर अनि रूप से प्रथम सूचना पत्र (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, किन्तु कतिपय प्रकरणों में अपराध करने के पहले प्राथमिक जांच किया जा सकेगा। यह प्रकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है, किन्तु निम्नां प्रकार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा अपराध पंजीयन पूर्व प्राथमिक जांच की जा सकती है:-

1. विवाह व परिवार संबंधी विवाद
2. व्यवसायिक विवाद
3. स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही से संबंधित प्रकरण
4. भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण
5. जिन प्रकरणों में अपराध दर्ज कराने में असामान्य विलंब हो, 03 माह से ज्यादा विलंब के प्रकरणों में, जिसमें विलंब का कोई तर्कसंगत कारण नहीं हो, प्राथमिक जांच की जा सकेगी।

02. घटनास्थल का निरीक्षण:- संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उसे सुरक्षित करना चाहिए। घटनास्थल का सभी कोणों से बारिकी से निरीक्षण कर उपलब्ध वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए साथ ही आवश्यकतानुसार तत्काल एफएसएल अधिकारी एवं अंगुलचिन्ह विशेषज्ञ आदि से साक्ष्य संकलन हेतु घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाना चाहिए। घटनास्थल का वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए।

03. साक्ष्य संकलन:- प्रार्थी एवं गवाहों के कथन अभिलिखित किये जाने के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 160, 161 एवं 162 में प्रावधान किये गये हैं। यद्यपि धारा 160 में साक्षी को आहूत करने के अन्वेषणकर्ता अधिकारी की शक्ति को प्रदर्शित करता है, किन्तु महिला, नाबालिग एवं वृद्ध को थाना में कथन

हेतु आहूत नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य को अन्वेषणकर्ता अधिकारी को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। धारा 354, 376, 509 भा.द.वि. के प्रकरणों में पीड़िता का कथन यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जावेगा तथा यथासंभव ऑडियो/वीडियो साधनों द्वारा भी रिकार्ड किया जायेगा और पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ित की पहचान की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध करे। धारा 161 में कथनों को अभिलिखित करने एवं धारा 162 में कथनों में हस्ताक्षरित किये जाने का प्रावधान है।

अनुसंधान के दौरान निम्नलिखित साक्ष्यों का संकलन किया जाना चाहिए:-

क. मौखिक साक्ष्य संकलन:- किसी भी प्रकरण की विवचेना के दौरान न केवल प्रार्थी अपितु ऐसे स्वतंत्र गवाहों का कथन लेखबद्ध किया जाना चाहिए, जो घटनास्थल पर घटनासमय मौजूद रहे हों। कई ऐसे प्रकरण होते हैं, जिसमें आसपास के रहवासी, जो काफी दिनों से प्रार्थी या आरोपी को अच्छी तरह से जानते हैं, का भी कथन काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसे विवेचनाधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में बिना विलंब किये संकलित किया जाना चाहिए।

ख. भौतिक साक्ष्य संकलन:- कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु, जिसके परीक्षण एवं परिणाम द्वारा अपराध घटित होना सिद्ध किया जा सकता है या अपराधी को पहचानने एवं पता लगाने में अथवा उसका अपराध या घटना स्थल से संबंध को सिद्ध करने में भौतिक साक्ष्य बहुत ही उपयोगी होते हैं। किसी भी अन्वेषणकर्ता अधिकारी को घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा भौतिक साक्ष्यों का संकलन यथासमय किया जाना चाहिए।

ग. दस्तावेजी साक्ष्य संकलन:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 5 एवं 6 में दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं:- धारा 74 में परिभाषित "लोक दस्तावेज" तथा धारा 75 में परिभाषित "प्रायवेट दस्तावेज"। लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है तथा प्रायवेट दस्तावेजों को साबित किया जाना होता है। अपराध में दस्तावेज की मूल प्रति जप्त की जानी चाहिए। दस्तावेजों के जो अंश प्रमाणित किये जाने है, उन्हें पृथक-पृथक चिन्हित किया जाना आवश्यक है।

घ. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन:- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित (17/10/2000 से प्रभावी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार न्यायालय के ग्राहय हेतु पेश किये गये सभी दस्तावेज, जिनमें इलेक्ट्रानिक अभिलेख भी सम्मिलित हैं, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1) में परिभाषित प्रमाणकर्ता अधिकारी इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र, इलेक्ट्रानिक प्रारूप, इलेक्ट्रानिक अभिलेख, सूचना सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख, सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षरकर्ता अभिव्यक्तियों का अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक समान होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम

की धारा 65 (क) के अनुसार इलेक्ट्रानिक अभिलेख की अंतर्वस्तु धारा 65(ख) के उपलबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी।

03. विशेषज्ञ से संबंधित साक्ष्य:- चिकित्सकों द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट, मेडिकोलीगल रिपोर्ट, एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारियों का फोरेंसिक रिपोर्ट, अंगुलचिन्ह एवं हस्तलिपि विशेषज्ञ आदि का रिपोर्ट किसी प्रकरण के तह तक पहुंचने में सबसे कारगर साक्ष्य होते हैं, जो किसी भी अन्वेषणकर्ता अधिकारी के लिए प्रकरण को सुलझाने में काफी महत्वपूर्ण है। अतः विवेचना अधिकारी को उपरोक्त रिर्पोटों को यथासमय प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 एवं 46 में विशेषज्ञों की राय के बारे में प्रावधान किया गया है। इन धाराओं के तहत विशेषज्ञों के अभिमत को प्रकरणों के विचारण के दौरान सुसंगत तथ्य माना गया है। अतः विशेषज्ञों की रिपोर्ट को अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते समय संलग्न किया जाना आवश्यक है।

04. धारा 164 के तहत कथन का अभिलेखन:- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस धारा के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व कथन अभिलिखित कर सकता है। ऐसा कथन यथासंभव चौबीस घंटे के भीतर अभिलिखित कराया जाना चाहिए।

05. चिकित्सीय परीक्षण:- धारा 164(क) द.प्र.सं. में बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा कराने का प्रावधान है। ऐसा परीक्षण चौबीस घंटे के भीतर किसी महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कराया जाना चाहिए। चिकित्सा परीक्षण पीड़ित की सहमति से कराना चाहिए यदि पीड़ित की आयु 12 वर्ष से कम है या पीड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो इस स्थिति में उसके अभिभावक से अनुमति ली जानी चाहिए। बलात्कार के प्रकरणों में चिकित्सीय परीक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये प्रपत्र के अनुरूप कराया जाना चाहिए।

06. तलाशी:- धारा 165 द.प्र.सं. के तहत अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी करवा सकता है।

07. रिमांड:- धारा 167 द.प्र.सं. में यह प्रावधानित है कि जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वह पुलिस अभिरक्षा में है तथा यह प्रतीत होता है कि धारा 57 द.प्र.सं. के तहत चौबीस घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में अन्वेषण अधिकारी द्वारा निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

08. संस्वीकृति :- संस्वीकृति का कथन विवेचना का एक अभिन्न अंग होता है एवं संस्वीकृति के बिना अक्सर विवचेना पूर्ण नहीं होती है। धारा 25 एवं 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुलिस अधिकारियों को एवं पुलिस अभिरक्षा के दौरान दिये गये संस्वीकृति को मान्य नहीं करती है। पुलिस अभिरक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किये गये संस्वीकृति मान्य संस्वीकृति है। किन्तु धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे अभियुक्त, जो पुलिस अभिरक्षा में हो, उससे प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य के बारे में पता चलता है, तो ऐसी जानकारी में से, उतनी जानकारी संस्वीकृति मानी जावेगी।

09. मृत्यु पूर्व कथन:- मृत्यु पूर्व कथन कई प्रकरणों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यह अभियुक्त के दोषसिद्धि में सहायक हो सकते हैं। मृत्यु पूर्व कथन को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि मृत्यु पूर्व कथन का साक्ष्य के रूप में उतनी ही ग्राह्यता है, जैसा कि किसी साक्षी द्वारा न्यायालय में आकर अभिकथन किया जाना। मृत्यु पूर्व कथन अभिलिखित करते समय जो शब्द या भाषा अभिकथन देने वाला व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा उसी के अनुसार शब्दशः लेखबद्ध की जानी चाहिए। मरणासन्न कथन लेखबद्ध करने के पूर्व चिकित्सक द्वारा उक्त व्यक्ति को कथन करने हेतु सक्षम प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

10. जप्ती:- जप्ती पंचनामा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत तैयार की गई सूची है, जिसका उपयोग न केवल अपराधों के अनुसंधान में किया जाता है, अपितु धारा 179 द.प्र.सं. के तहत किये जा रहे जांचों में भी किया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में इस पंचनामा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मात्र पुलिस द्वारा दिये गये तथ्यों को एकपक्षीय नहीं माना जा सकता है, इसलिए जप्ती की पंचनामा कार्यवाही आवश्यक है। अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश करते समय जप्तशुदा वस्तुओं को आवश्यक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

11. पहचान परेड:- कुछ प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान अपराधी या संपत्ति के पहचान कराने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे संपत्ति/सामग्री या व्यक्ति के पहचान कार्यपालिका दण्डाधिकारी से कराया जाकर पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए। पहचान परेड की कार्यवाही पुलिस की अनुपस्थिति में होना चाहिए।

12. गिरफ्तारी:- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध घटित होने की स्थिति में बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का अधिकार प्रदान करता है एवं धारा 46 में गिरफ्तारी कैसे की जायेगी, यह प्रावधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील **क्रमांक 1277/14 "अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य"** में पारित निर्णय के अनुसार 07 वर्ष से कम या 07 वर्ष तक के सजा वाले प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जावेगी, अपितु ऐसे प्रकरणों में नोटिस तामील कराया जाकर चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारियों को निम्न प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए:-

(क) अपने नाम का सही, दृष्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जो कि पहचान को सहज कर सकेगा।

(ख) गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा।

(ग) कम से कम एक साक्षी द्वारा, जो गिरफ्तारी किये गये व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या जहाँ गिरफ्तारी की गई है, उस मोहल्ले के किसी सम्मानित सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ड.) जब तक ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाता, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, परिवार के किसी सदस्य द्वारा निमित्त नातेदार या मित्र को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने का अधिकार है।

13. अपराधों का पर्यवेक्षण- पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 735 के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपराध का पर्यवेक्षण किये जाने का प्रावधान है। पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 734 के अनुसार जब थाना प्रभारी स्वयं विवेचना नहीं करता है, तो उसके द्वारा पर्यवेक्षण करने के संबंध में उपबंध बनाये गये हैं। द.प्र.सं. की धारा 157 के अनुसार यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तिला प्राप्त होता है कि ऐसा अपराध किया गया है, जिसका वह धारा 156 के तहत अन्वेषण के लिए सशक्त है, तो वह स्वयं अन्वेषण प्रारंभ करेगा। यदि थाना प्रभारी स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए अधीनस्थ को विवेचना के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, जो प्रधान आरक्षक से निम्नतर श्रेणी का न हो।

14. केस डायरी- धारा 172 द.प्र.सं. के तहत प्रत्येक अन्वेषणकर्ता अधिकारी दिन-प्रतिदिन की गई अन्वेषण कार्यवाही को केस डायरी में उल्लेखित करेगा। केस डायरी अन्वेषण आरंभ से समाप्त होने तक लि जावेगा, जिसमें अन्वेषण का समस्त विवरण होगा। ऐसी केस डायरियों न्यायालय में जांच एवं विचारण दौरा मांगा जा सकता है, इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किन्तु ऐसी जांच विचारण में सहायता के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

15. आरोप पत्र- प्रत्येक प्रकरण की विवेचना के उपरान्त द.प्र.सं. की धारा 173 के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्यों एवं साक्षियों की सूची के साथ प्रकरण के विवेचना को समाहित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत वर्णन पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्रमांक 774 एवं 775(क) में दिये गये हैं। समस्त विशेषज्ञ अभिमत एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य अंतिम प्रतिवेदन के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार बलात्कार के प्रकरणों में अन्वेषण की तारीख से दो माह के भीतर अन्वेषण पूरा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

16. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(क) में पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिनकों अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति पहुंची है या जिन्हें पुनर्वास की आवयश्कता है, उनको क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य में **"यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018"** लागू है। इस योजना के तहत पीड़ित महिला/बालक को अधिकतम 10 लाख रूपए तक क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर 492002

क्र0 - पुमु/अअवि/म.वि.अपराध/m-262/21 दिनांक 22 /02/2021

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छ.ग.)

विषयः- Sexual Assault Evidence Collection Kits, use in investigation-reg.

संदभः- छ.ग. शासन का पत्र क्रमांक 338/235/एनएचआरसी/गृह-सी/2021 दिनांक 10.02.2021।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा महिलाओं पर यौन उत्पीडन मामले में वैज्ञानिक/फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह और प्रसंस्करण पर मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किया गया, जो संलग्न प्रेषित है।

अतः मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कराते हुए पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक
अअवि, पुमु, अटल नगर, नवा रायपुर

क्र0 - पुमु/अअवि/म.वि.अपराध/m-262/21 दिनांक 22/02/2021

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, छ.ग., शासन, गृह विभाग की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ ।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक
अअवि, पुमु, अटल नगर, नवा रायपुर

Sexual Assault Evidence Collection (SAEC) - Kit
घटनास्थल से डी.एन.ए. सैंपल के संकलन, संरक्षण और परिवहन के संबंध में विवेचनाधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका

1. परिचय –

घटनास्थल की पहचान सुनिश्चित करने और विवेचना से लेकर न्यायालय में में प्रकरण को प्रस्तुत करने तक विशेष सावधानी एवं सतर्कता के साथ भौतिक और जैविक साक्ष्यों का संकलन और उनका दस्तावेजीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अपराध का निराकरण, घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्यों को इकट्ठा करने निर्भर करता है। किसी भी अपराध की विवेचना में घटनास्थल को सुरक्षित करना, उसका फिल्मांकन करना, सही तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण करना, वहां से सभी यथोचित साक्ष्यों को संकलित, पैकिंग, और संरक्षित कर उनका सटीक दस्तावेजीकरण करते हुए घटनास्थल से सुरक्षित तरीके से परिवहन कर लाना समाहित है। अधिकांश मामलों में घटनास्थल पर पहुँचकर सबसे पहले उसे सुरक्षित करने और उसका निरीक्षण कर कौन से साक्ष्य अपराध की विवेचना और उसके विचारण में सहायक होंगे, इसे तय करने में एक विवेचनाधिकारी प्रमुख भूमिका निभाता है।

अपराध विवेचना हेतु विवेचनाधिकारियों के लिए निम्नाँकित दिशानिर्देश हैं –

2. घटनास्थल को सुरक्षित करना –

- सबसे पहले जिज्ञासु प्रवृत्ति अथवा गलत उद्देश्य वाले व्यक्तियों से घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए 'पुलिस' लिखी हुई टेप से उसे घेरना चाहिए।
- साक्ष्यों को संदूषित होने से बचाने के लिए पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकना चाहिए।
- साक्ष्यों के संदूषण की संभावनाओं से बचाने के लिए विवेचनाधिकारी को सुरक्षात्मक वस्त्रों और दस्तानों को पहनना चाहिए।
- घटनास्थल की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी इंसान अथवा जानवर के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए।
- घटनास्थल की निजता एवं गोपनीयता को बनाये रखने के लिए मीडियाकर्मी/प्रैस वालों को आने की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए।

3. प्रारंभिक निरीक्षण –

- संपूर्ण घटनास्थल का निरीक्षण करें।
- घटनास्थल में अधिकृत व्यक्तियों के आवागमन हेतु मार्ग निश्चित करें।
- घटनास्थल की प्रारंभिक सीमा का मूल्यांकन करें।
- घटनास्थल में हुए अपराध का पूर्वाभ्यास और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया तय करें।

- टूटने और नष्ट होने वाले साक्ष्यों की पहचान कर और उन्हें प्राथमिकतानुसार सुरक्षित करें।
- घटनास्थल जैसा दिखाई दे रहा है, उसका उल्लेख करें।
- नष्ट होने वाले साक्ष्यों की सूची बनायें और उनका फिल्मांकन कर उन्हें संकलित करें।
- घटना की शुरूआत कहां से हुई, इसका पता लगाकर घटनाओं का अनुक्रम तय करें। घटनाक्रम व गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए।

4. संदूषण नियंत्रण –

घटनास्थल पर व्यक्तियों और साक्ष्यों की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए संदूषण नियंत्रण और संदूषण से बचाव अत्यंत आवश्यक होता है –

- घटना की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित करें।
- घटनास्थल पर आवागमन हेतु तय किए गए मार्गों का ही इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।
- स्वयं की सुरक्षा एवं घटनास्थल के संदूषण की संभावनाओं को कम करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE Suit) का इस्तेमाल करें।
- जैविक साक्ष्यों के संकलन हेतु डिस्पोजेबल डिवाइस का इस्तेमाल करें।

5. दस्तावेजीकरण –

- विवेचनाधिकारी दस्तावेजों का स्थाई रिकॉर्ड तैयार करें।
- घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण का पुनर्मूल्यांकन कर तय करें कि किस तरह के दस्तावेजीकरण जैसे फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, स्केच, मापतौल, नोटिंग आदि की जरूरत है।
- बिना निष्कर्ष, विचार और विश्लेषण के केवल तथ्यात्मक नोट और रिपोर्टको क्रमवार तैयार किया जाये।
- विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का प्रारंभिक निरीक्षण करते ही उसके विषय में सामान्य विवरण देना चाहिए।

6. घटनास्थल का नक्शा तैयार करना –

- घटनास्थल का भौतिक नक्शा तैयार करें, किंतु गंभीर मामलों में स्केल की सहायता से मापजोख करना चाहिए, दूरी की सही माप लेनी चाहिए। अनावश्यक चीजों को छोड़ देना चाहिए।

- एक अथवा दो निश्चित स्थिर स्थल अवश्य दर्शाये जाने चाहिएं। ऐसा करना साक्ष्यों (रक्त चिन्हों, वाहन के ट्रैक चिन्हों आदि मुख्य स्थानों/सामग्रियों) को अभिनिश्चित करने में मदद करेगा।
- दिशासूचक यंत्र से उत्तर दिशा को आवश्यक रूप से ज्ञात कर दर्शाना चाहिए।
- नक्शे के कोने पर विवेचक का नाम, केस संख्या, तिथि एवं समय को दर्शाते हुए हस्ताक्षरित करना चाहिए।

7. **घटनास्थल की फोटोग्रॉफी –**

- सभी भौतिक घटनास्थलों कि फोटोग्राफी, दस्तावेजीकरण का एक अहम हिस्सा है।
- फोटोग्राफी में 'शव' (यदि है) तो उसकी अवस्थिति, चोटों की स्थिति एवं हालत को दर्शाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक साक्ष्य की फोटोग्राफी करते हुए पीड़ित के साथ उसके संबंध का उल्लेख करते हुए दर्शाया जाना चाहिए।
- साक्ष्यों के फोटोग्रॉफ सीधे और ऊपर की तरफ से लेना चाहिए।
- रक्त धब्बों के पैटर्न का स्केल की मदद से विभिन्न कोणों से फोटोग्रॉफ लेना चाहिए।
- घटनास्थल पर रक्त धब्बों के पैटर्न के आधार पर अपराध में प्रयुक्त हुए हथियार को अभिनिश्चित किए जाने का प्रयास करना चाहिए।

8. **घटनास्थल के निरीक्षण के तरीके –**

- विवेचनाधिकारी को घटनास्थल तक पहुँचने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ताकि कोई भी साक्ष्य छूट ना पाये। इसके लिए निम्नाँकित विधियाँ अपनाई जा सकती हैं –

  01.**लाईन या पट्टी विधि –** बड़े घटनास्थल के निरीक्षण हेतु उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाएं और वापस लौटें (कदमों को गिनते हुए जाना सहायक होता है, इससे दूरी का लगभग सटीक अंदाज हो जाता है)। यह विधि बड़े और बाह्य घटनास्थल के लिए उपयोगी होती है।

  02.**ग्रिड विधि –** बहुत बड़े घटनास्थल जैसे – मैदान आदि के निरीक्षण के लिए यह विधि अपनाई जा सकती है, इसमें निरीक्षणकर्त्ता अधिकारीगण विपरीत छोर से आना जाना करते हुए दो बार निरीक्षण करते हैं, जिससे अवलोकन करना आसान हो जाता है।

  03.**गोलाकार या रे विधि –** छोटे और गोलाकार घटनास्थल के निरीक्षण हेतु इस विधि को अपनाना लाभदायक होता है।

इसमें निरीक्षणकर्त्ता केंद्र में इकट्ठे होकर बाहर की तरफ निरीक्षण शुरू करते हैं।

04. **कुंडली विधि** – यह विधि वहाँ बहुत उपयोगी है, जहाँ घटनास्थल में कोई भौतिक सीमांकन संबंधी बाधाएं ना हों। इसमें निरीक्षणकर्त्ता घटनास्थल के केंद्र से शुरू करते हुए विपरीत दिशा में बढ़ते हैं।

05. **जोन विधि** – यह विधि बंद घटनास्थल जैसे – मकान आदि में अपनाई जाती है। इसमें क्षेत्र को वृत्ताकार अथवा वर्गाकार रूप से चार भागों में बांट कर उपरोक्त में से कोई एक विधि अपनाकर निरीक्षण किया जाता है।

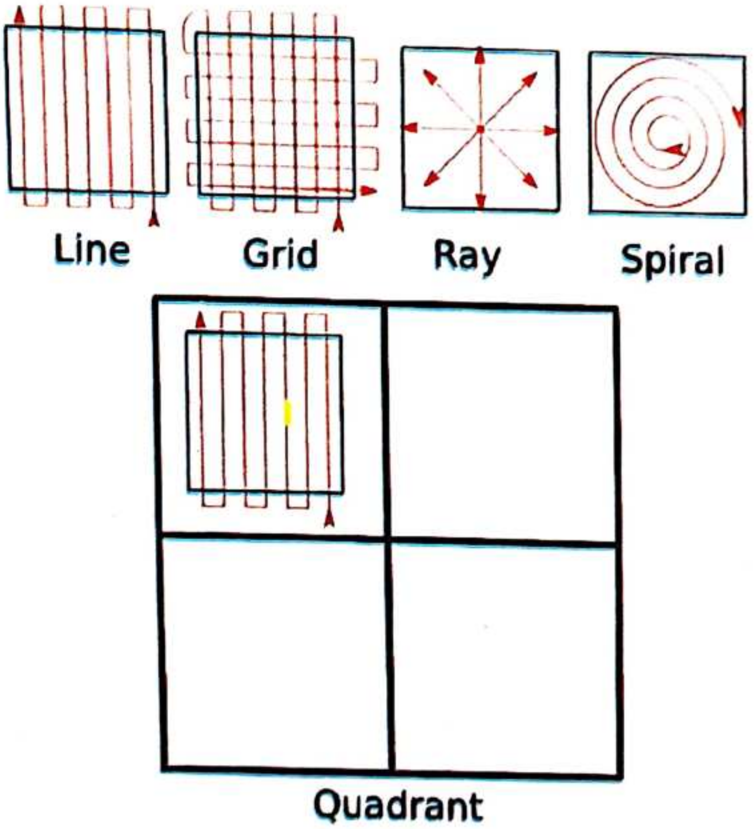

9. **जैविक साक्ष्यों का संरक्षण, पैकिंग एवं अग्रेषण –**

- घटनास्थल पर साक्ष्यों को चिन्हित कर उन्हें किसी पात्र (डब्बा आदि) में सुरक्षित करें।
- संकलन उपरांत साक्ष्य के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें।

- पेपर बैग/पेपर शीट/पेपर के बने लिफाफे पूरी तरह से सूखे होने चाहिए इससे साक्ष्य सुरक्षित रहेगा।
- साक्ष्य को कभी भी किसी मुद्रित कागज (Printed Paper) से सुरक्षित ना करें, इससे यह दूषित हो सकता है।
- प्रत्येक सामान को पृथक-पृथक पैक करें और चिन्हित करें कभी भी एक से अधिक को एक साथ पैक ना करें।
- विवेचक द्वारा प्रत्येक प्रदर्श का **अपराध क्र. : धारा/तिथि/विवेचक का नाम/पद/थाना/जिला/राज्य** का उल्लेख करते हुए चिन्हित कर थाना की सील अंकित कर अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए।
- प्रदर्शों को नंबर देते हुए अग्रेषणकर्त्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- साक्ष्य के कवर पर प्रदर्श अवश्य अंकित किया जाये।
- एक प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्यों को संकलन उपरांत पुनः एक साथ एक पैकेट में अथवा कवर से सुरक्षित करें।
- शरीर के '**बाल** (Hair Sample) को चिमटी की मदद से संकलित करें और पेपर बैग में सुरक्षित करें।
- सूखे रक्त को पेपर पर अथवा फिंगरप्रिंट टेप/सेलो टेप की मदद से संकलित किया जा सकता है। इसे फिल्टर पेपर, FTA Card को आसुत जल (Distilled Water) से गीला करके पोंछ कर संकलित किया जा सकता है।
- गीले धब्बों को रूई की मदद से उपरोक्तानुसार हवा में सुखा कर संकलित किया जा सकता है।
- यदि साक्ष्य को रक्त के क्लस्टर से एकत्र किया जाना है तो EDTA (एथिलीनडाईएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड) की शीशी में ड्रॉपर अथवा सिरिंज के उपयोग से करें साथ ही स्वैब को संक्रमण रहित फोम/रूई के ऊपर रखें।
- प्रदर्शों को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु जानकारी सहित निर्धारित (संलग्न) प्रांफार्मा में तैयार कर प्रेषित करें।
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैविक साक्ष्यों को खुले हाथों से कदापि ना छूएं।
- **Note :** जब तक परिस्थितियॉं विपरीत ना हों, गीले और आर्द्र जैविक साक्ष्य को 02 घंटे से अधिक किसी भी स्थिति में प्लास्टिक या पेपर से बने पात्र में न रखें। साक्ष्य को हवा से सुखाने उपरांत ही अंतिम रूप से पैक करें। धब्बा रूपी साक्ष्यों को कभी भी ऊष्मा से अथवा सूर्य की सीधी धूप में ना सुखाएं।

Crime Scene Investigation KIT के अनुप्रयोग हेतु अनुदेश –

- किट को छूने के पूर्व अपने हाथों को साफ और संक्रमण रहित करें।
- ग्लव्ज, मास्क, गाउन, जूते, कैप जैसे आवश्यक अवरोधक कपड़े पहनें।
- साक्ष्य सामग्री के पास छींकने और खांसने से बचें।
- शरीर के तरल पदार्थों को देखने और उनकी पहचान करने के लिए UV Lighter का प्रयोग करें।
- अर्द्ध शुष्क शारीरिक तरल पदार्थ के संकलन हेतु Swab/FTA Card/ Gauze Piece का उपयोग करें।
- पूराने सूखे धब्बों के संकलन हेतु उन्हें आर्द्र करने के PBS Buffer का उपयोग करें और कम से कम 05 मिनट तक सूखने के लिए रखें।
- धब्बों को संकलित करने हेतु FTA Card अथवा Foam SurfaceSwab का प्रयोग करें।
- पैकिंग के पहले धब्बों को प्राकृतिक हवा में सुखाना सुनिश्चित करें।
- जैविक साक्ष्यों के संकलन के लिए संदर्भित प्रक्रिया का पालन करें।

- **Finders Technology Associates (FTA) Cards -**

FTA Card एक ऐसा उपकरण है जो जैविक साक्ष्यों के DNA विश्लेषण हेतु उनका संग्रहण, कमरे के तापमान पर उनका संरक्षण और पैकिंग की प्रक्रिया की अनुमति प्रदान करता है।

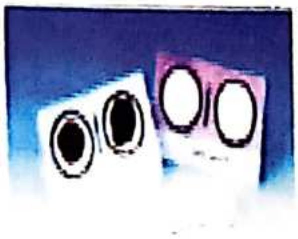

➢ **लाभ –**

- आसान संग्रहण
- कमरे के तापमान पर भंडारण एवं परिवहन की सुविधा
- सुरक्षित संचालन

➢ FTA Cards Formats -

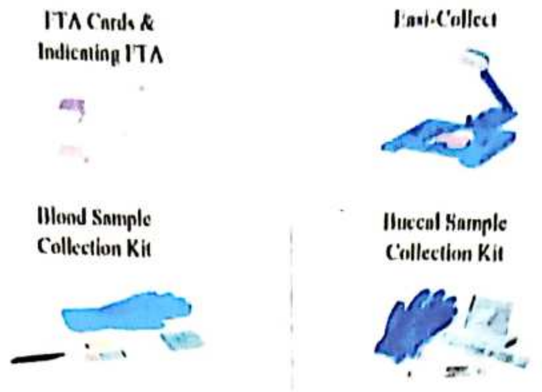

Kit Contents

- FTA Micro Card
- Peelable barcodes x2
- Return mailing envelope
- Multi-barrier pouch
- Nitrile-gloves -1 pair
- Temper evident tape to add to pouch or shipping container
- Alcohol wipe
- Band aid
- Dissicant packet

Kit Contents

Indicating FTA Micro Card x1
Peelabel barcodes x2
Sterile FoamTipped Applicator x1
Return mailing envelope
Multi-barrier pouch
Temper evident tape to addpouch or pouch or shipping container
Dissicant

- **Whatman FTA Cards Blood Collection Kit से रक्त संग्रहण हेतु निर्देश –**
  - पैकेज सामग्री को साफ और सूखी मेज या किसी सतह पर रखें।

  - मुद्रित स्थान को दर्शाने के लिए दस्ताने पहने और FTA Card के फ्लैप को सुरक्षित तरीके से खोलें।
  - अंगुली को सही तरीके से साफ करने के लिए एल्कोहल वाइप्स का प्रयोग करें।

- अंगुली के जिस हिस्से को एल्कोहल से साफ किया गया था, उससे लैंसेट को पकड़ें और ट्रिगर को दबायें।
- मुदित स्थान (घेरे) में बूंद को गिराने के लिए कार्ड को छूये बगैर अंगुली से दबायें।

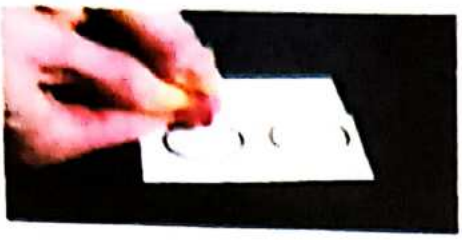

- बहुत ज्यादा संतृप्त ना करें, क्योंकि रक्तसे बहुत अधिक संतृप्त किए हुए कार्ड से डी.एन.ए. को पुर्नप्राप्त नहीं किया जा सकता।
- कमरे के सामान्य तापमान पर कार्ड को पूरी तरह से 1-2 घंटे तक सुखायें। FTA कार्ड के कवर को बंद कर सुरक्षित करें और अवशोषक पैकेट को Multi Barrier Pouch में डालें।

- Multi Barrier Pouch को डाक वाले लिफाफे में डालें।

- **Whatman FTA Card Blood Collection Kit से Buccal Cell (मुहं के स्वैब) को संग्रहण हेतु निर्देश –**
  - FTA कार्ड को साफ, सूखी और सपाट सतह पर रखें।

- Tipped Applicator से एक (Sterile Foam) जीवाणु रहित निकालें।

- Applicator को प्लास्टिक के हत्थे की जगह से पकडें और इसे मुंह में डालें।
- Applicator को एक गाल के अंदर तरफ 30 सेकेण्ड तक घुमायें ताकि यह अधिकाधिक लार को सोख सके। यही प्रक्रिया Applicator के दूसरी ओर से दूसरे गाल तरफ दोहरायें।

- गुलाबी नमूना क्षेत्र (Pink Sample Area) को उजागर करने के लिए Indicating FTA कार्ड के कवर को सावधानीपूर्वक उठायें।

- Foam Applicator पद दबाव डालते हुए तीन बार एक तरफ से Rock करें।
- Applicator को बदलकर नमूना घेरे में दूसरी तरफ ऐसे ही दोहरायें।
- नमूना क्षेत्र का रंग बदलकर सफेद हो जाएगा, जोकि नमूना के हस्तांतरण का संकेत है।
- पेपर कवर के साथ नमूना क्षेत्र को चित्र में दर्शायेनुसार स्थित करें और कमरे के तापमान पर उसे पूरी तरह सूखने दें।
- Indicating FTA कार्ड के सूखने उपरांत इसे अवशोषक पैकेट के साथ Multi Barrier Pouch में रखें।

- **Procedure for collection and preservation of biological evidences by IOs**

नमूना	स्थिति	स्थान	संकलन, संरक्षण एवं पैकेजिंग के तरीके	परिवहन का तरीका	सावधानियाँ
रक्त	तरल अवस्था में	घटनास्थल	सिरिंज अथवा ड्रॉपर के माध्यम् से EDTA Tubeमें संकलित करें अथवा Gauze Piece/FTA Card पर स्थानांतरित कर हवा में सुखा कर कागज के पैकेट या लिफाफे में रखें।	संकलन उपरांत 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से प्रयोगशाला भिजवाना सुनिश्चित करें। तरल रक्त को अनिवार्य रूप से ऊष्मातापी या थर्मोकोल के डिब्बे में चारों तरफ बर्फ के साथ पैक करें	रक्त को EDTA Tube में डिस्पोजेबल सिरिंज से संकलित करें
	ताजा/गीले थक्के	घटनास्थल	थक्के को विसंक्रमित ट्यूब में संकलित करें और उसमें बराबर मात्रा में साधारण नमक/PBS (डी.एन.ए. के संदर्भ में PBS उपयुक्त है) का घोल डालें अथवा Gauze Piece/FTA Card पर स्थानांतरित कर हवा में सूखा कर कागज के पैकेट या अवशोषक लिफाफे में रखें।		
	आर्द्र/नम	घटनास्थल से पीड़िता के कपड़ों को/आरोपी के पहने कपड़ों से	कमरे के तापमान पर हवा में सुखायें फिर साफ सादा कागज में लपेटकर पेपर बैग/लिफाफा या कपड़े के बैग में पैक करें।	बिना किसी देरी के यथाशीघ्र प्रयोगशाला में भिजवायें।	यथा संभव छोटे कपड़ों को लें। कभी भी सूरज की सीधी धूप अथवा गर्म हवा याहीटर की मददन सुखायें।

			पीड़िता / आरोपी अथवा पृथक के कपड़ों को अलग करें।		गीले या सूखे कपड़ों को प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग में न रखें।
	गीला	किसी भी वस्तु पर से	कमरे के तापमान पर सूखी हवा में सुखाकर वस्तु को ज्यों का त्यों स्थितिनुसार शोध निकलने का प्रयास कर तदनुसार कागज, गत्ते के बॉक्स में पैक करें।		गीले या सूखे कपड़ों को प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग में न रखें। धब्बों के गीले का मिलान न पहले [illegible] कर दस्तावेज तैयार अलग करें।
सूखे रक्त, वीर्य, वमन, लार अथवा शरीर के सूखे तरल के अन्य धब्बे	पपड़ी, छींटे अथवा धब्बे	घटनास्थल, स्थावर जगह, फर्श या कांक्रीट की दीवार आदि	5-10 मिनट तक PBS/ आसुत जल से तर करें और स्वैब/FTA Card/Gauze Piece की मदद से संकलित करें और सूखे हुए स्वैब को को कागज के लिफाफे में पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यत प्रयोगशाला भिजवायें।	कभी भी धब्बों को ना खुरचें। अलग अलग जगहों के धब्बों को पृथक पृथक पैकेट या लिफाफों में पैक करें। एक ही कपड़े से अलग अलग जगहों से स्वैब को संकलित ना करें।
	धब्बे	हथियार, आग्नेयास्त्र, बुलेट, छोटे घरेलू बर्तन, पत्थर, ईंट इत्यादि	धब्बों को सूखने दें। वस्तु को सीधे संकलित कर गत्ते के बोर्ड या परिवहन बक्से में पैक कर मुहर लगायें और साक्ष्य टेप से पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यत प्रयोगशाला भिजवायें	स्वैब्स को अलग-अलग स्थानों से पृथक-पृथक पैक करें। छांव में सुखाकर अलग-अलग पैकेट/ लिफाफा में पैक करें। कभी भी सूरज

	धब्बे	वाहन के कालीन, भित्ति चित्र, लकड़ी इत्यादि	धब्बा वाले स्थान को काटकर अलग करें और इसे छांव में सुखने दें। प्रत्येक कटिंग को अलग पैक करें। धब्बा वाली जगह के पास से ही बगैर धब्बे वाले स्थान को भी काटकर अलग से पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें	की सीधी धूप, गर्म हवा, हीटर की मदद से ना सुखायें। कभी भी आग्नेयास्त्र को लोडेड स्थिति में अग्रेषित ना करें। गोली/पैलेट को घर्षण से बचाने के लिए गद्देदार स्थिति में अलग–अलग, कागज के लिफाफा में अथवा स्टेराइल ग्लास के जार में पैक करने को प्राथमिकता दी जाये।
वीर्य	तरलावस्था में	वस्तु या घटनास्थल	नमूने को Gauze Piece/ कॉटन स्वैब/सरफेस स्वैब की मदद से संकलित करें और हवा में सुखाकर कागज के लिफाफा में पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें।	
ऊतक, अंग, भ्रूण	आर्द्र/अर्द्ध शुष्क	बरामदगी स्थल से कटेफटे अवषेश	DNA परीक्षण के लिए ऊतक/अंग को तत्काल बिना किसी परिरक्षण के शीतावस्था में प्लास्टिक के साफ डब्बे में रखकर संरक्षित करें। जहरखुरानी और	स्कलन उपरांत बगैर अनावश्यक विलंब के अनिवार्यतः 24घंटे के अंदर प्रयोगशाला भिजवायें। परिवहन हेतु कंटेनर को	नमूने को अलग से पैक किया जाये। कभी भी कोई परिरक्षक जैसे फर्मेलिन का उपयोग न करें। प्रयोगशाला भेजने अथवा परिवहन हेतु विलंब होना

			औषधी परीक्षण के लिए सांद के खोल से परिरक्षित करें।	थर्मोकोल के बक्से में बर्फ के टुकड़ों के साथ या टीकाकरण वाले बॉक्स में रखा जाये।	प्रतीत हो तो नमूने को फ्रीज में रखा जाये। भ्रूण को टीकाकरण वाले बॉक्स में रखा जाये।
हड्डी, दाँत	आर्द्र/अर्द्ध शुष्क/ शुष्क	घटनास्थल, बरामदगी स्थल से	किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने के लिए हड्डी और दाँत को धोकर साफ करें और इसे हवा में सुखायें। सादा कागज में लपेटकर कपड़े में या गत्ते के बॉक्स में पैक कर शील लगायें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें	किसी तरह के परिरक्षक जैसे फर्मेलिन आदि का प्रयोग न करें। निम्न वरीयतानुसार पूर्ण हड्डियों को ही भेजें – जाँघ फीमर, पिंडली टिबिया, बाँह ह्यूमरस, दाढ़ मोलर, पसलियाँ रिब्स। पूर्णरूपेण जली हड्डी DNA परीक्षण के अनुपयुक्त होती है।
जड सहित बाल	सूखे या आर्द्र रक्त, वीर्य अथवा लार सहित	घटनास्थल, हथियार, कपड़े	चिमटी की सहायता से सफेद पेपर अथवा बटर पेपर में रखें और कागज के लिफाफे में पैक करें। यदि इन पर रक्त लगा है या किसी हथियार इत्यादि पर हैं, तो इन्हें उससे हटायें नहीं। खंडित की बनिस्बत जड़ सहित बालों को पैक करना चाहिए। यदि वस्तु छोटी है तो उसे चिन्हित कर वस्तु सहित ब्राउन पेपर में लपेटकर सूती कपड़े से पैक करें और संदर्भ हेतु पीड़ित/आरोपी के 50-100 बाल संकलित कर भिजवायें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें।	यदि बाल गीले हैं तो इन्हें छांव में सुखायें। बरामद हुए बालों को कभी ना धोयें।

चेन–ऑफ–कस्टडी को बरकार रखना –

- यह सबूतों के क्रम को बनाये रखने और उनका दस्तावेजीकरण करने में उपयोगी है।
- साक्ष्य संकलित किसके द्वारा किया गया है और बाद में किसी व्यक्ति अथवा संस्था की अभिरक्षा में सौंपा गया है, की जानकारी तिथि, आरोपी अथवा संदेही के नाम और संक्षिप्त विवरण व प्रकरण संख्या सहित तमाम जानकारियों के संदर्भ में 'चेन–ऑफ–कस्टडी' को बरकार रखते हुए इसका दस्तावेजीकरण करें।

Crime Scene Investigation Kit -

जैविक साक्ष्यों के संकलन हेतु क्राईम सीन इन्वेस्टीगेशन किट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संघटक होते है –

उच्च रिजॉल्यूशन वाला डिजिटल कैमरा	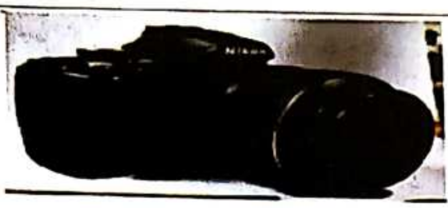
डिस्पोजेबल गाउन, टोपी, जूते, दस्ताने, मास्क, चश्मा, तौलिया, संक्रमण रहित पॉलिथीन बैग (जैविकीय अपशिष्ट के लिए)	
एल्कोहल स्वैब और कपड़ा, हैंड सैनिटाईजर	
साक्ष्य को चिन्हित करने अंक, अक्षर चिन्ह	
हैन्डटॉर्च और मैग्नीफाईंग ग्लास	

चीर–फाड़ करने वाले उपकरण जैसे – ब्लेड, चिमटी, कैंची, ड्रॉपर और सिरिंज	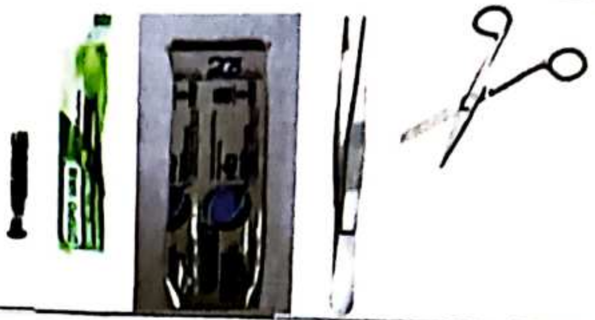
स्टेराइल वाटर, सेलाइन वॉटर, फॉस्फेट बफर	
EDTA शीशियाँ और FTA Cards	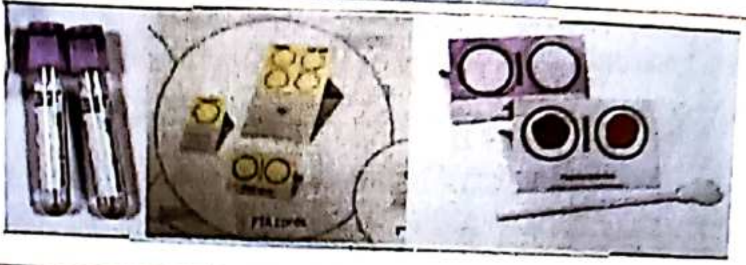
कॉटन स्वैब, सरफेस स्वैब और प्लास्टिक कंटेनर	
साक्ष्य संरक्षण हेतु का बॉक्स और लिफाफा	

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

मानव तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष कार्यवाही प्रकिया (SOP)

मानव तस्करी के रोकथाम हेतु निम्नानुसार विशेष कार्यवाही प्रकिया (SOP) के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे:–

महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है । इससे जुड़े मुद्दे से निपटन में संबंधित एजेंसियों यथा पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं गैर शासकीय संस्थाओं (NGO's) द्वारा अधिकाधिक सक्रिय होकर समन्वित रूप से संवेदनशील होकर कार्य करने में सहभागिता आवश्यक है ।

A- मानव तस्करी के प्रकार:–

मानव तस्करी के मुख्य 3 प्रकार हैं:–

1. <u>शोषण के लिये</u>– यौन शोषण, बलात्श्रम, मानव अंग प्रत्यारोपण, जबरन विवाह आदि शामिल हैं ।
2. <u>अवैध यौन व्यापार</u>–बल, धोखा, छल के द्वारा एक महिला को व्यवसायिक यौन व्यापार में शामिल किया जाना, जिन्हें वेश्यालयों, डांस बार, मसाज पार्लर, अश्लील चित्रण, पोर्नोग्राफी इत्यादि में इस्तेमाल किया जाना ।
3. <u>श्रम की तस्करी</u>– बल, धोखा, छल से या अच्छे कार्य का झूठा प्रलोभन देकर व्यक्ति से अनजाने में ही या जितना उसे पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए, उससे कम भुगतान करके उससे कार्य लिया जाता है ।

B. <u>तस्करों के प्रकार:–</u>

मानव तस्करी संगठित अपराध है, तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हो सकता है । हथियारों, ड्रग की तस्करी करने वाले समूह, निषेध पदार्थों की तस्करी करने वाला, प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक एवं स्थानीय एजेंट, पीड़ित के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार, मॉडलिंग एजेंसियों, अनाथ बच्चों को बलपूर्वक लेने और बेचने वालों का समूह, मित्र, पुराने परिचित या पूर्व के पीड़ित, अत्याधिक लाभ के रोजगार का वादा करने वालों का समूह, मसाज पार्लर एवं डांस क्लब चलाने वाले ।

C. <u>मानव तस्करी किए जाने के कारण:–</u>

इस अपराध को संगठित अपराध (Organised Crime) निम्न कारणों से कहा जाता है:–

इसे कारित करने में अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे:–कोई पीड़ित की पहचान कराता है और उसे लेकर आता है, कोई पीड़ित की देखरेख करता है, कोई अन्य व्यक्ति, जो स्थानीय स्तर पर समस्त व्यवस्था करता है, कोई अन्य, जो पीड़ित को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराता है, जैसे

ADG (CID)
DIG (CID)
DIG (AJ...)
AIG (CID)
SECTION

ti-my files latter

मकान, भोजन, कपड़ा इत्यादि, अन्य व्यक्ति पीड़ित के बदले में भुगतान प्राप्त करता है, अन्य व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है, कोई अन्य व्यक्ति जो अपना पैसा लगाता है, विशेष रूप से जब पीड़ित को देश से बाहर भेजा जाता है, कोई अन्य व्यक्ति पुलिस और प्रवजन अधिकारियों की निगरानी करता है, कोई अन्य व्यक्ति पहुंचाये गये देश में भुगतान प्राप्त करता है, कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रकार कमाये गये पैसे को वैध/सफेद बनाता है, कोई व्यक्ति होता है, जो पूरी गतिविधियों में आदेश और आदेश का पालन करता है और कार्य को पूर्ण करता है ।

D- मानव तस्करी की रोकथाम में सफलता के लिए AHTU/AHT CELL की भूमिका:—

राज्य के 08 जिलों कमशः जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार एवं महासमुंद में AHTU मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाई एवं सेल सहित शेष 20 इकाईयों में AHT CELL का गठन किया गया है । मानव तस्करी के रोकथाम की दिशा में इन इकाईयों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

(क) मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाई के सामान्य कार्य:—

1. गुम बच्चों के ऐसे प्रकरण, जो अपराध दर्ज होने के 120 दिन पश्चात भी बरामद नहीं किये जा सके, उन प्रकरणों में गुम बच्चों के मानव तस्करी से पीड़ित होने के उपधारणा कर गंभीर प्रकरण मानते हुए एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट/सेल से अग्रिम विवेचना कराई जाये ।

2. यह इकाई मानव दुर्व्यापार से संबंधित सभी अपराधों एवं शिकायतों के निराकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करें । दुर्व्यापार के अपराधों को व्यावसायिक संगठित अपराध (Organised Crime) मानकर व्यवसायिक दक्षता से विवेचना कर प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करना है ।

3. बहु आयामी दृष्टिकोण रखते हुए सभी संबंधित विभाग जैसे—पुलिस, अभियोजन, एन.जी.ओ, सिविल सोसायटी और मीडिया, श्रम विभाग, पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग से सहयोग लेकर संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से कार्य किया जाना चाहिए ।

4. विभिन्न गैर सरकारी एजेंसियों (NGO's) के मध्य प्रभावशाली समन्वय तंत्र विकसित करना। विशेषकर मानव दुर्व्यापार हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत गैर शासकीय संस्थाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना ।

5. पीड़ित के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर कार्यवाही किया जाना, ताकि इन्हें पुनः प्रभावित होने से बचाया जा सके ।

6. दुर्व्यापार (मानव तस्करी) के प्रभावितों के साथ लिंग भेदी और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करना ।

7. श्रमिकों के स्वैच्छिक पलायन पश्चात अन्य राज्यों में जाने के पश्चात इनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रकरण यथा कम मजदूरी, खतरनाक कार्य में बच्चों को लगाना, जबरन कार्य, अधिक श्रम का कार्य, कार्य का वातावरण एवं अधिक अवधि के कार्य जैसा नियम विरुद्ध कार्य इसमें सम्मिलित है ।

8. मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाई के अंतर्गत 3 पी (Prevention, Protection & Prosecution) जिसमें रोकथाम अभियोजन और सुरक्षा के दृष्टिगोण से कार्य करना शामिल हैं ।

9. संगठित अपराध विवेचना में इन प्रकरणों की विवेचना के दौरान सभी आरोपियों, दुष्प्रेरको, षडयंत्रकारियों एवं मुख्य नीतिकार के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चत करना चाहिए ।

10. पीड़ितों की सुरक्षा, देखभाल एवं पुनर्वास का कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कियान्वयन किया जाना ।

(ख) मानव दुर्व्यापार की रोकथाम में पुलिस की भूमिका:–

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिले में स्थापित मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाई / मानव दुर्व्यापार सेल के प्रभारी एवं इन प्रकरणों में नोडल अधिकारी होंगे । इनका कार्य AHTU के कार्यों को सर्वोत्तम नतीजे पर पहुंचाना होगा । AHTU /AHT CELL में अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, महिला पुलिस बल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए । AHTU/AHT CELL में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को उनके दिए गए क्षेत्राधिकार में निम्न कार्य संपादित करने चाहिए:–

1. गुम बच्चों की सूचना थाना में प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया अपहरण एवं मान0 तस्करी की अवधारणा पर तद्नुसार विवेचना की दिशा निर्धारित की जावे ।

2. बच्चे की गुमने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना स्तर पर वेब पोर्टल www.trackthemissingchild पर तत्काल M फार्म एवं गुम बच्चों की दस्तयाबी पर R फार्म भरा जावे ।

3. तस्करी के पीड़ितों और अपराधियों के बारे में गुप्त सूचनाएं नियमित रूप से संकलित कर तदनुसार विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं सूचनाओं का संबंधित संस्थाओं के बीच प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए ।

4. स्थानीय एजेंटों / दलाल दुर्व्यापार के अपराधियों, खरीददारों, बेचने वालों परिवहनकर्ताओं, शरण और सहायता देने वाले, ग्राहकों और वित्तीय सहयोगी इत्यादि को शामिल करते हुए सभी श्रेणियों के अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए ।

5. मानव तस्करी के प्रारंभिक स्त्रोत, परिवहन और अंतिम स्थान तक के क्षेत्रों के साथ ही अन्य ऐसे स्थान जहां विधिक कार्य का प्रदर्शन करते हुए मानव शोषण किया जाता है, जैसे–मसाज पार्लर, बीयर बार, फ्रेण्डशिप क्लब, पर्यटक निवास, फिल्म क्लब, साईबर कैफे इत्यादि को शामिल करते हुए अपराध के सभी संभावित ठिकानों का डाटाबेस तैयार करना चाहिए ।

6. उत्तरदायित्व पूर्ण शोध, खोज, जांच कर जमीनी स्तर पर कार्य करने के पश्चात् बचाव अभियान चलाने चाहिए । इसका यह उद्देश्य है कि शोषित पीड़ित व्यक्तियों का अधिक से अधिक संख्या में बचाव कर मुक्त कराया जावे ।

7. अपराध के सभी पहलुओं पर पूर्ण व्यवसायिक दक्षता एवं उपलब्ध आडियो / वीडियो साधनों का प्रयोग कर पेशेवर (Professional) रूप से अनुसंधान करना चाहिए ।

8. पीड़ितों के पुर्नःस्थापन और स्वदेश / प्रदेश वापस भेजने के लिए संबंधित शासकीय विभाग प्राधिकारी और NGO's से सलाह के साथ प्रारंभिक कार्य करना चाहिए ।

ti-my files latter

9. दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग की गतिविधियां सघन रूप से प्रारंभ करना चाहिए ।

10. संक्रमण क्षेत्रों जैसे:—रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप इत्यादि की सतत् चेकिंग की जानी चाहिए ।

11. राज्य के प्रशासनिक दिशा—निर्देशों के अनुसार पीड़ित के उत्पीड़न रोकने और साथ ही साथ इस विषय में आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु मीडिया से अच्छे संबंध रखने चाहिए । महत्वपूर्ण घटनाओं में सफलताओं का प्रकाशन स्थानीय अखबार में प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

E- <u>सहयोगी शासकीय विभागों / एनजीओ की (Stakholders) की भूमिका:—</u>

1. **<u>महिला एवं बाल विकास विभाग:—</u>** गुम बालक / बालिकाओं एवं मानव तस्करी के शिकार बच्चों की तलाश के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को शासन द्वारा बजट प्रदान किया जाता है । अतः रेस्क्यू के दौरान पीड़ित के परिजनों की यात्रा एवं परिवहन आदि में व्यय का भुगतान उक्त बजट से किये जाने की प्रकिया सरल किया जावे । तस्करी से प्रभावित बच्चे / व्यक्ति के रेस्क्यू के पश्चात पुनर्वास में महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । अतः पीड़ित के पुनर्वास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस को समन्वित होकर कार्य करना चाहिए ।

2. **<u>श्रम विभाग:—</u>** अनेक प्रकरणों में बंधुआ मजदूरी की शिकायत पर श्रम कानून के तहत कार्यवाही की आवश्यकता होती है । इस हेतु श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए । राज्य में नियमित अंतराल पर संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे बाल श्रमिकों के रेस्क्यू एवं पुनर्वास की कार्यवाही श्रम विभाग को पुलिस के साथ मिलकर करना चाहिए ।

3. **<u>बाल कल्याण समिति (CWC):—</u>**प्रत्येक तस्करी के शिकार एवं गुम बच्चों के पुनर्वास की दिशा में सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । अतः इस ओर सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सकियता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को यथाशीघ्र पुनर्वास / राहत प्रदान किया जा सके ।

4. **<u>स्कूल शिक्षा विभाग:—</u>** मानव तस्करी प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा विभाग की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । स्कूल से यदि कोई बच्चा लगातार एक माह तक अनुपस्थित है, तो संबंधित विद्यालय को चाहिए कि परिजनों से संपर्क स्थापित कर, थाने में सूचना दी जावे एवं थाना प्रभारी बच्चे की उपस्थिति की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि बच्चा कहीं मानव तस्करी का शिकार तो नहीं हो गया है । विद्यालय प्रमुख को चाहिए कि निरंतर अंतराल में संबंधित पुलिस थाना से संपर्क स्थापित कर स्कूल में बच्चों के बीच मानव तस्करी पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त रूप से कालखण्ड का संचालन कराया जावे ।

5. **<u>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग:—</u>** छत्तीसगढ़ में प्रत्येक पंचायत में पलायन पंजी संधारित किए जाने का प्रावधान है । उक्त पलायन पंजी में ग्राम से पलायन करने वाले व्यक्ति का नाम, पलायन स्थान, संपर्क नंबर आदि लेख किया जाता है । पलायन पंजी का संधारण सभी ग्राम पंचायतों में नियमित रूप हो, यह सुनिश्चित करना होगा । इस

ti-my files latter

हेतु समय–समय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा पलायन पंजी का निरीक्षण किया जावे ।

6. **विधि विभागः**–मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति का रेस्क्यू एवं आरोपियों की गिरफ्तारी सामान्य तौर पर राज्य के बाहर महानगरों में मुख्य रूप से दिल्ली एवं आसपास के शहरों से की जाती है । इस दौरान कानूनी कार्यवाही हेतु तत्काल विधि सहायता की आवश्यकता होती है । इस हेतु महानगरों विशेष रूप से दिल्ली में विधि अधिकारी नियुक्त किया जावे । मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति को राज्य में प्रचलित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति प्रदाय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना चाहिए ।

7. **अभियोजन अधिकारी की भूमिकाः**–

मानव तस्करी के अपराध में अभियोजन अधिकारी को व्यापक भूमिका निभानी होती है । एक आदर्श स्थिति वह है जब अभियोजन अधिकारी AHTU/AHT CELL के कार्यों में सभी चरण में सम्मिलित हो । AHTU/AHT CELL में अभियोजन अधिकारियों को निम्न कार्यों में शामिल करना चाहिएः–

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन एवं अन्य विधिक दस्तावेजों के निर्माण एवं विवेचना के किसी कम में किसी अवस्था में मार्गदर्शन ।

(2) बचाए गए पीड़ित को विधिक परामर्श उपलब्ध कराने में ।

(3) अनुसंधान के दौरान AHTU/AHT CELL को सहायता प्रदान, जिसमें समस्त विधिक दायित्वों का निर्वहन, अभिरक्षा की श्रृंखला और अनुसंधान के दौरान उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को दूर करने समस्त विधिक प्रावधान की जानकारी शामिल है । (जमानत का विरोध, जमानत का निरस्त किया जाना, जमानतदार का जमानत जप्ती/निरस्त किया जाना शामिल है)

(4) अनुसंधान अधिकारी को विधिक दस्तावेज के निर्माण में सहायता करना, जैसे आरोप पत्र निर्माण, केस के परीक्षण से पहले विवेचना की कमियों को दूर करना आदि ।

(5) अपराधियों के निष्कासन और शोषण किए जाने वाले स्थानों को बंद कराने में पुलिस को विधिक सहयोग करना ।

(6) विविध/प्रशासनिक विनियमों के अनुसार मुक्त कराये गए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने में कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना ।

08. **एनजीओ/नोडल एनजीओ की भूमिकाः**–

स्थानीय एन.जी.ओ. मानव दुर्व्यापार निरोधक से संबंधित सभी गतिविधियों में सहयोग कर सकता है । यह आसूचना संकलन से प्रारंभ कर, प्रकरणों की दोषसिद्धि के स्टेज तक हो सकता है । साथ ही पीड़ितों की तस्करी और पुनः तस्करी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकता है । अतएव AHTU/AHT CELL एवं स्थानीय एन.जी.ओ. को समन्वित होकर इस कार्य को करने की आवश्यकता है ।

ti-my files latter

F- **मानव दुर्व्यापार में लागू विधियों एवं अधिनियमों की जानकारी:–**

मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित अधिनियम/संहिता द्वारा मानव तस्करी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है ।

भारतीय दण्ड विधान 1860 IPC

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

बन्धुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

युवाओं के लिए (हानिकारक प्रकाशन), 1956

किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम, 2015

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994

बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम, 1929

छ.ग. निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013

G- **अपराधिक जानकारियों का संकलन:–**

मानव दुर्व्यापार से संबंधित पंजीबद्ध प्रकरणों एवं अपराधियों की जानकारी का पंजी में संधारण करना AHTU/AHT CELL का एक महत्वपूर्ण कार्य है । तस्करी और शोषण[illegible]र्ताओं (नियोजित करने वाले, खरीददार, विकेता, शरण देने वाले, परिवहनकर्ताओं, वित्त प्रदाता, [illegible]कों इत्यादि शामिल हैं)का एक वृहद डाटाबेस बनाया जावे ।

समस्त उत्तरदायी विभाग/संस्था SOP में निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई [illegible]लन सुनिश्चित करें ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, मंत्रालय,छत्[illegible]सगढ़

क्रमांक 5469/2736/2017/विविध/दो–गृह
नया रायपुर, दिनांक 24/7/2018

प्रतिलिपि:–

पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर कृपया उक्त विशेष कार्यवाही प्रकिया के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं सर्वसंबंधित को सूचित किए जाने हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, मंत्रालय,छत्तीसगढ़

ti-my files latter

गुम बालक के पता तलाश हेतु
विशेष कार्यवाही प्रक्रिया (SOP)
(STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR CASES OF MISSING CHILDREN)

(केन्द्रीय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत शासन द्वारा तैयार)

पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन, सिविल 75/2012 बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध संघ शासन के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2013 मे गुम बच्चों के संबंध में विशेष कार्यवाही प्रक्रिया निर्माण करने का आदेश दिया गया था। किशोर न्याय, (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14)(VII) में गुम बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक के रूप में शामिल किया गया है और इस अधिनियम के नियम 92 में गुमशुदा बालक के बारे में जांच के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य (OBJECTIVE)

इस विशेष कार्यवाही प्रक्रिया में गुम, पाये एवं बरामद बच्चों के प्रकरणों में पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड, जो इन प्रकरणों को व्यवहृत करते हैं, उन्हें सहयोग की परिकल्पना की गई है। एसओपी का उद्देश्य, जब गुम बच्चों के प्रकरणों को व्यवहृत किया जाता है उस समय हितधारकों / सहयोगी संस्थाओं (Stakeholders) के साथ समन्वय का कार्य करने एवं गुम बच्चों के मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया करना है। शीघ्र एवं प्रभावी विधि प्रवर्तन एवं अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करना है। गुम बच्चों को फिर पीड़ित होने से बचाने के लिए तंत्र एवं प्रणाली का निर्माण, पीड़ितों/गवाहों को समय पर उचित ध्यान/संरक्षण/देखभाल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।

गुम बच्चों के आयामों को समझना
(DIMENSIONS TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF "MISSING CHILD)

गुम बच्चे (MISSING CHILD)

आमतौर पर कहा जाता है कि प्रायः गुम बच्चे वे हैं, जो माता-पिता, परिवार या अभिभावक से बिछड़ गये हैं अथवा अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया है अथवा जिसका अपहरण किया गया है, मानव दुर्व्यापार किया गया है अथवा उसके परिजन द्वारा परित्याग कर दिया गया है। हालांकि यह एसओपी उन प्रक्रिया को भी शामिल करता है, जो उन बच्चों के संबंध में है, जिन्हें पुलिस, बाल कल्याण समिति, चाईल्डलाईन या किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा पाया/ढूंढा गया है और जब तक कि उसके माता-पिता, परिवार, अभिभावक का पता नहीं चल जाता तथा उस बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया जाये। कुछ इस तरह के बच्चे बालक देखरेख संस्थाओं में रहने वाले हो सकते हैं। प्रायः माता-पिता/परिवार/अभिभावक द्वारा इस तरह के मामलों में गुमने की शिकायत दर्ज कराई जाती हैं।

दस्तयाब बच्चे (TRACED CHILD)

एक खोजा हुआ बच्चा वह होगा, जिसका पुलिस द्वारा गुम बच्चों की शिकायत अथवा प्रथम सूचना पत्र के आधार पर पता लगाया गया हो।

बरामद बालक (FOUND CHILD)

एक बरामद हुआ बच्चा, वह बच्चा है, जो पुलिस को गली, बाजार स्थल, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टैण्ड, रेल में, बंदरगाह में, हवाई अड्डा, बस पर अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल में, बचाव अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थान से मिला हो या किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाईल्डलाईन, किसी अन्य स्वंयसेवी संस्था के द्वारा पुलिस के समक्ष लाया जाता हो। आमतौर पर कहा जाता है कि गुम बच्चे वह हैं, जो अपने परिवार/अभिभावक से बिछड़ गये हों एवं इसमें निम्नानुसार शामिल हो सकते हैं:-

- खोजे गये बच्चे (Traced Children)
- बरामद बच्चे (Found Children)
- भागे हुए बच्चे (Run away Children)
- परित्यक्त बच्चे (Abondoned Children)
- अपहृत बच्चे (Kidnapped Children)
- खोये हुए बच्चे (Lost Children)
- तस्करीकृत बच्चे (Trafficked Children)
- दुर्घटना, आपदा, विपत्ति या अन्य विविध कारणों से गुम/खोये/पाये बच्चे
- बालक देखरेख संस्था से गुम बच्चे

1. परिभाषा (DEFINITION)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के नियम 92 (I) आदर्श नियम- 2016 में परिभाषित अ[illegible]र- गुमशुदा बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिसके ठिकाने की, उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक, या किसी व्यक्ति अथवा सं[illegible] की जिसे बच्चों की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थिति या कारण कुछ भी हो, की जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है गुमशुदा और देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बच्चे माना जावेगा।

2. शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? (WHO MAY FILE THE COMPLAINT)

1. माता-पिता
2. कानूनी अभिभावक
3. रिश्तेदार
4. बाल कल्याण समिति
5. चाईल्डलाईन 1098

6. एनजीओ

7. पुलिस

8. लोकसेवक

9. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित हो

10. कोई भी व्यक्ति, जो घटना के संबंध मे जानकारी रखता हो।

3. कहाँ एवं कैसे गुम बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? (WHERE & HOW TO REPORT A MISSING CHILD)

1. कहाँ (Where ?)

i. पुलिस थाना/एएचटीयू/एसजेपीयू

ii. पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCR) नंबर डायल 100

iii. पुलिस की किसी भी अन्य आपातकालीन हेल्पलाईन नंबर पर

iv. चाईल्डलाईन 1098

v. पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा www.trackthemising child.gov.in में लॉगइन करने के पश्चात गुम बच्चों की जानकारी पोर्टल में दर्ज किया जा सकता है एवं सभी हितधारकों/सहयोगी संस्थाओं से बच्चों की पता तलाश में सहयोग हेतु उसका फोटो सिटीजन्स कार्नर में अपलोड किया जा सकता है।

2. कैसे? (HOW)

नियमित साधनों के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से, फोन पर, ईमेल पर, अन्य संचार माध्यमों, गुम बच्चों की शिकायत एसएमएस के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस को इस तरह की जानकारी का रिकार्ड जनरल डायरी में रखना चाहिए और फोन करने वाले व्यक्ति का प्रारंभिक सत्यापन कार्यवाही करने के उपरान्त प्रथम सूचना पत्र दर्ज करना चाहिए।

4. सहयोगी विभाग/संस्थाओं (Stakeholders) की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF STAKE HOLDERS)

जब बच्चे गुम जाते हैं :-

पुलिस (Police)

a. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध संघ शासन (रिट पिटिशन सिविल 75/2012) में दिनांक 10 मई 2013 को दिये गये निर्देशानुसार गुम बच्चे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत मानव दुर्व्यापार अथवा अपहरण के प्रकरण की एफआईआर दर्ज करना चाहिए।

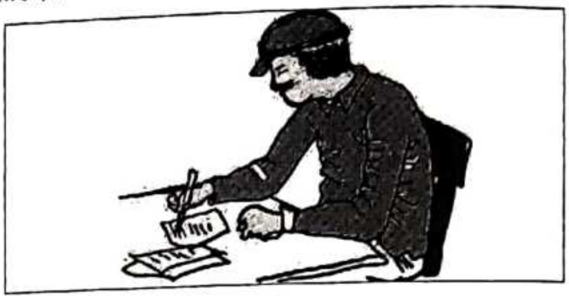

b. बाल कल्याण पुलिस अधकारी को सूचना देकर प्रथम सूचना पत्र विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चे की पता तलाश संबंधी तत्काल कार्यवाही करने के लिए अग्रेषित करना चाहिए। परिशिष्ट I अनुसार

c. पुलिस यह भी करेगी

1. बालक का वर्तमान का फोटो प्राप्त कर डिस्ट्रिक्ट मिसिंग परसन्स स्क्वाड (गुम इंसान दस्ता), राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं मीडिया आदि के लिए फोटो की प्रति तैयार करना।

2. निर्धारित पोर्टल www.trackthemissingchild.gov.in के M फार्म को भरा जावेगा। कृपया परिशिष्ट II देखें

3. विशिष्ट निर्धारित गुमइंसान जानकारी फार्म को भरकर तत्काल गुमइंसान दस्ता, डीसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस नियंत्रण कक्ष, रेल्वे पुलिस एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजना।

4. बच्चे से संबंधित जानकारी निर्धारित पोर्टल में अपलोड करने के पश्चात प्रथम सूचना पत्र की प्रतिलिपि नजदीकी विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चे के माता पिता, वैध अभिभावक अथवा बालक देखरेख संस्था का पता, फोन नंबर सहित पोस्ट या मेल से भेजना चाहिए।

5. पर्याप्त संख्या में गुम बच्चों की पतासाजी हेतु फोटोग्राफ एवं विवरण युक्त नोटिस तैयार कर प्रकाशन के लिए भेजा जावे।

6. गुम बच्चों का फोटोग्राफ्स एवं विवरण का प्रकाशन अथवा प्रसारण के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, जो निम्न रूप में संभव है:-
   a. प्रमुख समाचार पत्र
   b. टेलीविजन/इलेक्ट्रानिक मीडिया
   c. स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क
   d. सोशल मीडिया एवं इसके पश्चात अनुसमर्थन के लिए बोर्ड, समिति, अथवा बाल न्यायालय के द्वारा मामला जैसा भी हो सकता है, जमा कराया जावेगा।

7. व्यापक प्रचार के लिए आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग कर प्रमुख स्थानों में गुम बच्चों की सूचना का प्रसारण एवं पम्पलेट चस्पा करना चाहिए। गुम बच्चों की सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल

नेटवर्किंग पोर्टल, एसएमएस अलर्ट एवं सिनेमा घरों में स्लाईडर का उपयोग किया जा सकता है।

8. गुम बच्चों की सूचना शहर अथवा नगर के रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर पम्पलेट चस्पा किया जाना चाहिए।
9. इस तरह के क्षेत्र एवं स्थान में बच्चे को खोजना जैसे मूवी थियेटर, शॉपिंग मॉल, बगीचा, गेम पार्लर, एवं वह क्षेत्र जहॉं गुम एवं भागे हुए बच्चों को पहचाना एवं देखा गया हो।
10. आसपास के क्षेत्र में स्थापित सीसीटीव्ही कैमरे का स्केन कराना चाहिए, जहॉं से बच्चों की गुमने रिपोर्ट हुई हो एवं सभी संभावित मार्गो, पारगमन एवं गंतव्य जगहों पर।
11. निर्माणाधीन साईट, अप्रयुक्त भवन, अस्पताल एवं क्लिनिक, चाईल्डलाईन सेवाएँ, बाहर से आये स्थानीय मजदूर, रेल्वे पुलिस एवं अन्य स्थानों पर पूछताछ करना चाहिए।
12. गुम बच्चों का विवरण पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं सीमा क्षेत्र के पुलिस थानो के था प्रभारियों तथा उनके क्षेत्राधिकार के पुलिस चौकी को भी भेजा जाना चाहिए एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने दिशा में संबंधितों से नियमित बातचीत करना चाहिए।

d. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित वकीलों एवं थानों में अथवा जिला प्राधिकरण में नियुक्त पैरालीगल वालं की सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

e. वेबपोर्टल www.trackthemissingchild.gov.in. में जानकारी अपलोड करें। जानकारी पहले से अपलोड हो जाने की स्थिति में प्राप्त शिकायत को वेब पोर्टल में अपलोड की गई प्रकरण के विवरण के साथ मिलान करें।

f. बच्चों अथवा उसके परिवार की खतरे के स्तर का आंकलन करें एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

g. अप्रवासी प्राधिकरण, सीमा सुरक्षा बल, रेल्वे एवं अन्य परिवहन प्राधिकरण, प्रांतीय/क्षेत्रीय तथा नगरनिगम एवं गुम बच्चों की पहचान तथा बरामदगी/बचाव कार्य की सेवा देने वाली एनजीओ को भी तत्काल सूचित किया जावे।

जोखिम का ऑकलन (RISKASSESSMENT)

परिशिष्ट III में उपलब्ध चेकलिस्ट के अनुसार गुम बच्चों के संबंध में विभिन्न मापदण्डों पर विचार करते हुए, जोखिम (Risk) का आकलन किया जाना चाहिए इसके लिए Risk Assessment Form थाना प्रभारी द्वारा निम्न तथ्यों को निर्धारित करने के लिए किया जावेगाः-

i. अन्वेषण की तत्कालिकता
ii. जांच का क्षेत्र
iii. विशेषज्ञ ज्ञान के प्रकार की जरूरत
iv. पर्यवेक्षण की आवश्यकता
v. एजेंसियॉं, जिन्हें तुरंत सचेत किया जा सके

संगठित अपराध के परिप्रेक्ष्य में (ORGANIZED CRIME PERSPECTIVE)

1. जहाँ बच्चों का 04 माह पश्चात् भी पता नहीं चल पाता है, तो प्रकरण की विवेचना जिलों में गठित एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट को स्थानान्तरित किया जावे, जो प्रत्येक तीन में माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विवेचना की प्रगति से अवगत करायेंगे।
2. यदि मानव तस्करी (दुर्व्यापार) या कोई अन्य संगठित अपराध के होने का संदेह हो, तो एक विशेष विवेचना टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित करना चाहिए।
3. जांच का अनुपालन संलग्न चेक लिस्ट परिशिष्ट-IV के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

जब बच्चे प्राप्त या बरामद होते हैं, तब उठाये जाने वाले कदम (STEPS TO BE TAKEN WHEN A CHILD IS FOUND OR RECOVERED)

पुलिस (POLICE)

1. मामला जैसे भी हो, बच्चों के बरामद होने के पश्चात सर्वप्रथम उसे बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,बाल न्यायालय में उचित दिशा-निर्देश के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। देखें परिशिष्ट - V

2. बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण विशेषज्ञ टीम से कराना चाहिए, जिसमें मनोसामाजिक विशेषज्ञ।
3. बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा माता पिता/वैध अभिभावक को सुपुर्द करने के पूर्व उसके घर का उचित सत्यापन करना चाहिए।
4. बच्चों के बरामदगी के संबंध में ट्रेकचाईल्ड वेब पोर्टल के "R" फार्म को आवश्यक रूप से भरकर डाटा www.trackthemissingchild.gov.in पर अपलोड किया जावे।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चों की बरामदगी की रिपोर्ट भेजी जावे, जो काउंसलिंग एवं विधिक सेवा बालक व उसके परिवार को उपलब्ध करायेंगे।
6. जब बच्चे किसी अपराध में संलिप्त पाये जाते हैं, तब अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार कार्यवाही/पूछताछ प्रारंभ की जावे। यह जॉच किया जाये कि बच्चों के विरूद्ध कोई अपराध किसी अधिनियम या कानून के तहत घटित तो नहीं किया गया है। यदि हॉं तो तद्नुसार कार्यवाही करें।

2. पर्यवेक्षण अधिकारी (विवेचना की निरीक्षण में पर्यवेक्षण अधिकारी की भूमि का) (SUPERVISING OFFICER (ROLE OF SUPERVISING OFFICER OVERSEEING THE INVESTIGATION)

1. पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि जारी किये गये एसओपी के निर्देशों का कड़ाई से पालन हो, उन्हें स्वयं भी चेकलिस्ट का पालन करना चाहिए परिशिष्ट- IV के अनुसार

2. पर्यवेक्षण अधिकारी को गुम बच्चों के प्रत्येक प्रकरण की विवेचना को सूक्ष्मता से देखकर अनुसंधान आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रकरणों की विवेचना की स्थिति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा किया जाना चाहिए।

3. एक बार बच्चे प्राप्त होने पर पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस द्वारा आगे भी उचित कार्यवाही किया जाये। (Proper follow up actions)

4. पुरस्कृत/दण्ड प्रणाली पर्यवेक्षण अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात अच्छे कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जावे वहीं त्रुटि करने वालों को दंडित भी किया जाना चाहिए।

5. पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि थानों में उपलब्ध कराये गये पैरालीगल वालेंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ पूर्ण समन्वय हो, ताकि सभी मुद्दों तथा समस्याओं को हल किया जा सके।

3. बाल कल्याण समिति (CHILD WELFARE COMMITTEE)

a. जब गुम बच्चे पाये या बरामद या विधि के विरूद्ध संघर्ष करते हुये बच्चे, किशोर न्याय बोर्ड या पुलिस के समक्ष आते हैं, मामला जैसा भी हो, उचित मार्गदर्शन के लिए सर्वप्रथम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

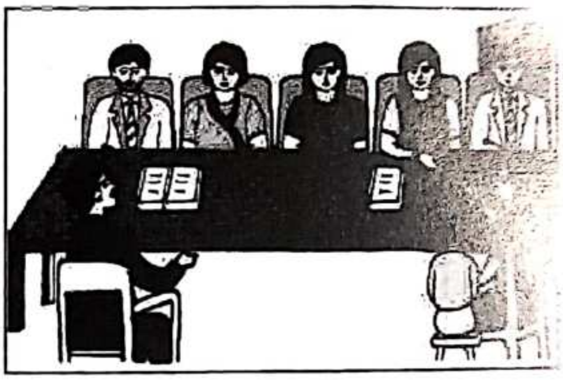

b. गुम/तस्करीकृत बच्चों के प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं होने की स्थिति में शिकायत/प्रकरण तत्काल किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित किया जावेगा, ताकि इस तरह के बच्चों के संबंध में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस को निर्देश देगा।

c. समिति के किसी भी तीन सदस्यों द्वारा पुलिस अथवा एएचटीयू में तुरंत रिपोर्ट करने हेतु बच्चों के किसी भी प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

d. बच्चे की आवश्यकता का आकलन कर आदेश पारित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को उपयुक्त सुविधाजनक रखने या उपयुक्त व्यक्ति या गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषणा, या पालक देखभाल या किसी भी अन्य प्रबंध कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चे की रूचि के आधार पर दिमाग में रखना चाहिए।

e. वह स्रोत जहाँ से बच्चों को ढूंढा या खोजा जाता है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चों के पुनर्वास को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने एवं अन्य किसी विधिक सहायता के लिए संलग्न किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावे कि बच्चे का प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ हो।

f. यह पता लगाया जावे कि यदि बच्चों को चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है, तो निर्देश जारी कर बच्चों को उचित चिकित्सा हेतु चिकित्सीय संस्थान से जोड़ें।

g. उम्र के निर्धारण हेतु पर्याप्त प्रमाण न हो तो बच्चे की उम्र परीक्षण के लिए आदेश पारित किया जावे। उम्र

परीक्षण रिपोर्ट तत्काल प्राप्त किया जावे ताकि परीक्षण परिणाम के आधार पर उम्र संबंधी निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। तब तक बच्चे को उपयुक्त सुविधाजनक रूप से रखा जा सकता है।

h. खोजा या बरामद बच्चा, जो बलात् अथवा बंधक श्रम के रूप में तस्करीकृत था, उसकी पूर्व मजदूरी की वसूली के लिए आदेश पारित करना चाहिए।

i. प्रोबेशन आफिसर/पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी/चाईल्डलाईन/जिला बाल संरक्षण अधिकारी/अन्य संगठन को आवश्यक कार्यवाही एवं पालन करने निर्देशित किया जावे।

j. किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) की धारा 30 तथा आदर्श नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट कर्तव्यों को निष्पादन किया जावे एवं जिला/राज्य स्तर पर अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्राधिकृत एजेंसी को नियमित भेजी जावे।

4. किशोर न्याय बोर्ड (JUVENILE JUSTICE BOARD- JJB)

a. यदि किसी पाया/खोजा हुआ बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विधिविरूद्ध संघर्ष करते बच्चों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो, जांच के बाद तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने हेतु पुनःनिर्देशित करना चाहिए, ताकि बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

b. यदि गुम/तस्करीकृत बच्चे के प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं किया गया है, तो तत्काल पुलिस को बच्चे की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु उसके विरूद्ध कारित अपराध पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

c. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

d. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा आदर्श नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चों के लिए एक विशिष्ट देखरेख योजना तैयार किया जावे। परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर शासकीय संस्था के सदस्य को इसका अनुसरण करना चाहिए। किशोर न्याय ;देखरेख एवं संरक्षणद्ध अधिनियम, 2015 की धारा 8 (3) (h) अथवा धारा 19 (02) में प्रावधानित आवश्यकता अनुसार नियुक्त किया जा सकता है।

☆ ☆ ☆

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

क्रमांक पुमु/अअवि/महिला सेल/ 854 /2019 दिनांक 16/10/2019

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला -- रायपुर

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषय:- महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के अंर्तनिहित धाराओं क्रमशः धारा 354, 354(क), 364(ख), 354(ग), 354(घ), 376, 376(क), 376(क ख), 376 (ख), 376(ग), 376(घ), 376(घ क), 376(घ ख), 376 (ड.) एवं धारा 509 भारतीय दण्ड विधान के प्रकरणों में दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन विवेचनाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें:-

- धारा 154 (द.प्र.सं.) में प्रावधानित अनुसार उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत किसी अपराध किये जाने या किये जाने का प्रयत्न की सूचना प्राप्त होती है, तो ऐसी सूचना को किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जावे।
- **धारा 157 (द.प्र.सं.)**:- बलात्संग के अपराध में पीड़ित के कथन का अभिलेखन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान में तथा जहां तक व्यवहार्य हो, उसके माता-पिता या संरक्षक या निकट रिश्तेदार या मोहल्ले के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाये।
- **धारा 161 (द.प्र.सं.- राज्य संशोधन)** लैंगिक अपराध से संबंधित उपरोक्त धाराओं के अधीन अपराध कारित किये जाने या अपराध करने का प्रयास किये जाने का आरोप है, यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाये एवं ऑडियो-वीडियो साधनों द्वारा भी रिकार्ड किया जाये और विवेचनाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाये जो स्त्री की पहचान की सुरक्षा हेतु आवश्यक हो।
- **धारा 164-क (द.प्र.सं.)** :- बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न करने के अपराधों की विवेचना के दौरान पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल में नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य पंजीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पीड़िता की सहमति या उसकी ओर से सहमति हेतु सक्षम व्यक्ति की सहमति पर कराई जावे। चिकित्सीय परीक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये गाईडलाईन के अनुसार कराई जावे। यह प्रकिया ऐसे अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे की भीतर पूर्ण की जावे।
- उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों का विवचेना कर रहे विवेचकों को तब तक अन्य प्रकरण न सौंपा जाये जब तक विवेचनाधीन अपराधों की विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति एवं पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुख्यालय यथाशीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

हेतु- अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

पृ. क्रमांक पुमु/अअवि/महिला सेल/854-A /2019 दिनांक 16/10/2019

प्रतिलिपि:-

01. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हेतु- अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि

पुलिस मुख्यालय,छत्तीसगढ़,
सेक्टर–19, नया रायपुर

क्र./पुमु/उमनि/अजाक/महिला प्रकोष्ठ/ 425/2018 दिनांक 13/06/18

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक
(रेल सहित) छत्तीसगढ़।

विषय :– दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के तहत शीघ्र कथन करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के लिये कड़ी सजा हेतु अपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में धारा 354 एवं धारा 375 तथा 376 ए.बी.सी.डी. में किये गये संशोधन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिलीप विरूद्ध म.प्र. शासन के प्रकरण में दिये गये निर्देश एवं दिल्ली घरेलू कामगार महिला फोरम के प्रकरण में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में तथा पाक्सो एक्ट 2012 के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं एवं बच्चों के लैगिंक शोषण के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

01. यौन अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जाये।
02. प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के उपरांत आवश्यकतानुसार तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाये तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप मे परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाये।
03. चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत पीड़िता की मानसिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसका कथन उसके निवास स्थान या उसके सुविधानुसार स्थान-पर शीघ्र लेखबद्ध किया जाये।
04. पीडिता का कथन महिला पुलिस अधिकारी/महिला अधिकारी द्वारा लेख की जाये, उक्त कथन की विडियोग्राफी कराया जाये।
05. **पीड़िता का दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 154 में दिये प्रावधान अनुसार यथाशीघ्र धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कराया जाये।**
06. यौन अपराधो से संबंधित अपराधो की विवेचना शीघ्र पूर्ण करें।
07. उक्त प्रकरणों की विवेचना यदि थाना प्रभारी द्वारा स्वयं नही की जा रही है, तो प्रकरण की लगातार समीक्षा करेगा।
08. संबंधित थाना क्षेत्र के पर्यवेक्षण अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रकरण की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे और समीक्षा में यदि यह तथ्य आता है, कि पीड़िता का कथन एवं 164 द.प्र.सं. मे लिखा गया कथन विलंब से हुआ है और विलंब का कारण उचित नही है, तो रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।
09. पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे, समीक्षा में विलंब से कथन लेने हेतु पर्याप्त व उचित कारण प्रतीत नही होता है तो संबंधित दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा लगातार की जा रही है।
10. पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा किये जाने पर लापरवाही बरती जाती है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल पुलिस महानिदेशक को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित की जायेगी।

(आर.के.विज)
अति० पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि)
हेतु – पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर–19, नया रायपुर 492002

क. – पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 196 /17 दिनांक 14 /12/2017

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित, छत्तीसगढ़

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) नं. 382/2013 में पारित निर्णय के पालन के संबंध में।

संदर्भः– गृह (समान्य) विभाग, का पत्र क/7908/549/दो–गृह/विविध/2017 दिनांक 30/11/2017।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित (संलग्न) पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) क्र. 382/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एक विशेष अधिनियम है, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को प्रभावित करता है एवं अवयस्क पत्नी जिसकी आयु 15 से 18 वर्ष के मध्य है, के साथ लैगिंक कृत्य को अपराधिक श्रेणी में लाया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अपवाद–2 अनुसार "किसी पुरूष का अपनी पत्नी के साथ, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम नहीं है, मैथुन बलात्संग की परिधि में नहीं आयेगा, प्रावधानित था एवं इस कृत्य को यौन संभोग अथवा यौन कृत्य के रूप में माना गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित याचिका में उक्त धारा में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। संशोधन उपरान्त उक्त धारा में यह प्रावधान निहित किया गया है, कि "किसी पुरूष का अपनी पत्नी के साथ, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, मैथुन बलात्संग की परिधि में नहीं आयेगा"। इससे यह स्पष्ट है कि बाल विवाह से संबंधित प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध कर पोक्सो एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जावे।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से पालन कराने हेतु अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी/थाना/चौकी प्रभारी को निर्देशित करें एवं पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(आर.के.विज)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

पृ.क. – पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 196 /17 दिनाक 14 /12/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को संबंधित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र. पु.मु./आजाक/पाि.प्रको./1674/2012 रायपुर, दिनांक 29 /12/2012

प्रति,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़
3. पुलिस अधीक्षक (रेल), छत्तीसगढ़

विषय:- छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम बाबत् कार्यवाही।

संदर्भ:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील नं. 8513/12 में निर्णय दिनांक 30.11.2012 के परिपेक्ष्य में दिये गये निर्देश एवं भारत शासन, गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 06.12.2012 में प्राप्त निर्देश।

--00--

उक्त विषय में लेख है कि समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये हैं:-

1. बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाल, शापिंग माल, उद्यान, सार्वजनिक यात्री वाहन एवं धार्मिक स्थलों के समीप सादा वर्दी में महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाये।
2. शहर के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों में सी.सी.टी.वी. प्रतिस्थापित करावें।
3. शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थानों, सिनेमा थियेटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड के प्रमुख पदाधिकारियों/प्रमुख को निर्देश देवें कि छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथम के लिए उनके क्षेत्राधिकार में प्राप्त शिकायत की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा महिला सहायता केन्द्र में दें।
4. यदि छेड़छाड़ की घटना सार्वजनिक वाहनों में होती है तो उस वाहन के प्रभारी/चालक का कर्तव्य होगा कि वे पीड़ित व्यक्ति की शिकायत तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा महिला सहायता केन्द्र में वाहन के साथ जाकर देवें। यदि वे इस प्रकार की सूचना देने में लापरवाही बरतते हैं तो वाहन का परमिट निरस्त करने की भी कार्यवाही की जावे।
5. प्रमुख शहरों में महिला हेल्पलाईन की स्थापना 03 माह की समयावधि के पूर्व करें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

D:\AJK DATA\AWADH\LETTER.doc

6. सार्वजनिक स्थानों जिसमें शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा थियेटर, सार्वजनिक [illegible] धार्मिक स्थल शामिल है, के प्रमुख को हिदायत देवें कि वे छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए चेतावनी स्वरूप बोर्ड महत्वूर्ण स्थलों में प्रदर्शित करें।

7. सार्वजनिक छेड़छाड़ की घटना को रोकने हेतु उस घटनास्थल के समीप रहने वाले तथा वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को भी जवाबदार माना जावे ताकि वे घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा महिला हेल्पलाईन को देवें ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों बाबत् जिला कलेक्टरों को भी सूचित करें तथा उनकी उपयुक्त सहायता प्राप्त करें ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा सके। लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है, उसका विवरण भी भेजें। कृपया परिपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजें।

19.12.2012

(रामनिवास)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. पु.मु./अजाक/महि.प्रको./ /2012 रायपुर, दिनांक /12/2012

प्रतिलिपिः- समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षक अपनी रेंज के जिलों की इन बिन्दुओं पर कंडिकावार पालन प्रतिवेदन प्रतिमाह 07 तारीख तक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि को भेजें।

(रामनिवास)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ रायपुर

D:\AJK DATA\AWADH\LETTER.doc 205

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
अटल नगर, रायपुर - 492002

Child Rights Cell परिपत्र क्रमांक 01/2018

क्र- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 308 /2018 दिनांक 19 /11/2018

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेल सहित (छत्तीसगढ़)

विषयः- किशोर न्याय बोर्ड में विधिविरूद्ध बालक/बालिका को निर्धारित तिथि में पेश करने हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत यह संज्ञान में आया है कि आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण विधिविरूद्ध संघर्षरत बालक/बालिका को किशोर न्याय बोर्ड में नियत तिथि पर पेश नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा जांच कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में वि[illegible]ता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि किशोर न्याय बोर्ड में नियत तिथि प[illegible]रूद्ध संघर्षरत बालक/बालिका को आवश्यक पुलिस बल के साथ पेश किया जाना सुनिश्चित किया [illegible] बोर्ड द्वारा जांच कार्यवाही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 [illegible] के अनुरूप निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके। उपरोक्तानुसार बाल अपचारी को बोर्ड के सम[illegible]त तिथि में पेश किये जाने की मंशा यह है कि उन्हें संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में [illegible]श्यक रूप से न रखा जाये एवं उनके विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके। ध्यान रखें कि बालिकाओं को बोर्ड के समक्ष पेश करने हेतु आवश्यक रूप से महिला कर्मचारी/आरक्षक की ड्यूटी लगाई जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये एवं पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तथा तत्संबंधी पालन प्रतिवेदन से पुलिस मुख्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

हेतु- पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर 492002

परिपत्र क्रमांक .01

विषयः- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का पालन के संबंध में।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा संप्रेक्षण गृह से भागे अपचारी बालक पर धारा 224 भादवि के तहत् मुकदमा दर्ज करने की घटना को स्वतः संज्ञान में लिया है। जबकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 26(4) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि, **"ऐसे बालक के विरूध्द कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नही की जायेगी।"** संप्रेक्षण गृह/सुरक्षित स्थान/विशेष गृह से भागे अपचारी बालक के मिलने के बाद उक्त बालक को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 84 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और सभी उपबंधों का अर्थान्वयन तद्नुसार किया जाएगा। अतः **"बालक का व्यपहरण/अपहरण के प्रकरणों में भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के साथ धारा 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 जोड़ी जावें।"**

(डी.एम.अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

पृ.क्र.- पुमु/अअवि/बाल अधिकार सेल/ 194/21 दिनांक 10 /08/2021

प्रतिलिपि :- 01. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
02. समस्त पुलिस अधीक्षक रेल सहित, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

अपराध अनुसंधान विभाग,

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर